

प्रपत्र-1.1

**डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना-1.मार्गों का निर्माण-(क).सम्पर्क मार्ग निर्माण (ग्राम को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाना)**

डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजनान्तर्गत कार्य योजना वर्ष 2011-12 हेतु चिन्हित 38 डॉ0 अम्बेडकर ग्राम में 33 ग्राम पूर्व से संतृत तथा 5 राजस्व ग्रामों में सम्पर्क मार्ग निर्माण कराने का लक्ष्य निर्धारित है। लक्षित 5 ग्रामों के सापेक्ष 2 ग्रामों में लोक निर्माण विभाग-प्रा0खण्ड तथा 3 ग्रामों में लोक निर्माण विभाग-नि0खण्ड-1 द्वारा सम्पर्क मार्ग निर्माण कराया जाना है।

क्रम सं०	ब्लाक का नाम	डा0 अम्बेडकर ग्राम का नाम	लम्बाई (कि०मी० में)	लागत (लाख में)	प्राप्त धनराशि		व्यय (लाख रू० में)	कार्य की अद्यतन स्थिति
					विभाग द्वारा	नरेगा द्वारा		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>लोक निर्माण विभाग-प्रान्तीय खण्ड</b>								
1	पुवायां	आनन्दपुर	0.30	10.85	10.85	0.00	9.855	100 प्रतिशत, कार्य पूर्ण
2	बण्डा	रायटांडा	1.30	46.53	40.68	2.50	21.600	54 प्रतिशत, कार्य प्रगति पर है।
<b>प्रान्तीय खण्ड का योग</b>			<b>1.60</b>	<b>57.38</b>	<b>51.53</b>	<b>2.50</b>	<b>31.455</b>	-
<b>लोक निर्माण विभाग-निर्माण खण्ड-1</b>								
3	भावलखेड़ा	रामपुर ननकारी	0.90	37.10	33.05	3.57	20.500	43 प्रतिशत कार्य प्रगति पर है।
4	भावलखेड़ा	बन्दरिया	0.20	8.25	7.35	0.58	7.100	100 प्रतिशत, कार्य पूर्ण
5	जलालाबाद	लालपुर नयागांव	0.50	38.51	36.26	1.79	10.265	60 प्रतिशत, कार्य प्रगति पर है।
<b>निर्माण खण्ड-1 का योग</b>			<b>1.60</b>	<b>83.86</b>	<b>76.66</b>	<b>5.94</b>	<b>37.865</b>	-
<b>कुल योग</b>			<b>3.20</b>	<b>141.24</b>	<b>128.19</b>	<b>8.44</b>	<b>69.320</b>	-

**पुनः निर्माण कार्य -**

प्रान्तीय खण्ड के अन्तर्गत डा0 अम्बेडकर ग्रामों के पूर्व से निर्मित परन्तु क्षतिग्रस्त/ध्वस्त सम्पर्क मार्गों के पुनः निर्माण कार्य हेतु लम्बाई 48.50 किमी० एवं लागत रू० 564.01 लाख का प्रस्ताव एवं निर्माण खण्ड-1 के अन्तर्गत डा0 अम्बेडकर ग्रामों हेतु लम्बाई 40.65 किमी० एवं लागत रू० 657.37 लाख, इस प्रकार जनपद में कुल लम्बाई 89.15 किमी० एवं लागत रू० 1221.38 लाख का प्रस्ताव पुनः प्रमुख सचिव, लो०नि०वि० को पत्र सं०-419/ओ०एस०डी०/2011-12 दि० 16.07.2011 को प्रेषित किये गये हैं। रू० 55.00 लाख तक की सीमा के अन्तर्गत 4.25 कि०मी० लम्बाई तथा लागत रू० 55.12 लाख के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है।

**मरम्मत कार्य-**

प्रान्तीय खण्ड के अन्तर्गत डा0 अम्बेडकर ग्रामों के पूर्व से निर्मित परन्तु क्षतिग्रस्त ध्वस्त सम्पर्क मार्गों के मरम्मत कार्य हेतु लम्बाई 8.16 किमी० एवं लागत रू० 54.66 लाख का प्रस्ताव एवं निर्माण खण्ड-1 के अन्तर्गत डा0 अम्बेडकर ग्रामों हेतु लम्बाई 8.20 किमी० एवं लागत रू० 57.91 लाख, इस प्रकार जनपद में कुल लम्बाई 16.36 किमी०

डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना वर्ष 2011-12 (सी0सी0 रोड-निर्माण)

शासनादेश सं0-224/43/डा0अ0ग्रा0स0वि0/10-11 दिनांक 01/08/2011 के क्रम में अधिकतम सीमा रू0 60.00 लाख के अन्तर्गत सी0सी0 रोड/के0सी0ड्रेन निर्माण हेतु पूर्व में निर्धारित कुल लक्ष्य रू0 3704.928 के सापेक्ष रू0 2280.00 लाख का निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार वर्तमान वर्ष 2011-12 में डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजनान्तर्गत चयनित 38 डा0 अम्बेडकर ग्रामों में पूर्व लक्ष्य सी0सी0 कार्य हेतु 83.885 कि0मी0 के सापेक्ष संशोधित कार्य योजना के अनुसार अब 61.907 कि0मी0 सी0सी0 रोड का लक्ष्य निर्धारित है। उपरोक्त संशोधित कुल लक्ष्य के सापेक्ष आवंटन रू0 2280.00 लाख की धनराशि जिला स्तर पर प्राप्त हो चुकी है, जिसके अन्तर्गत सी0सी0 कार्य हेतु रू0 1616.71 लाख के सापेक्ष रू0 1168.325 लाख की धनराशि प्रखण्ड स्तर पर प्राप्त हो चुकी है।

जिला स्तर पर उपलब्ध धनराशि में से सी0सी0 कार्य हेतु रू0 448.385 लाख प्राप्त होना शेष है। 38 डा0 अम्बेडकर ग्रामों में से 14 ग्राम संतृप्त हो चुके हैं। शेष 24 का कार्य प्रगति में है, अब तक कुल 49.992 कि0मी0 सी0सी0 कार्य सम्पादित कर 431.30 लाख रू0 व्यय कर लिया गया है।

डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना वर्ष 2011-12 (के0सी0 ड्रेन-निर्माण)

शासनादेश सं0-224/43/डा0अ0ग्रा0स0वि0/10-11 दिनांक 01/08/2011 के क्रम में अधिकतम सीमा रू0 60.00 लाख के अन्तर्गत सी0सी0 रोड/के0सी0ड्रेन निर्माण हेतु पूर्व में निर्धारित कुल लक्ष्य रू0 3704.928 के सापेक्ष रू0 2280.00 लाख का निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार वर्तमान वर्ष 2011-12 में डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजनान्तर्गत चयनित 38 डा0 अम्बेडकर ग्रामों में पूर्व लक्ष्य के0सी0 ड्रेन कार्य हेतु 163.585 कि0मी0 के सापेक्ष संशोधित कार्य योजना के अनुसार अब 120.004 कि0मी0 के0सी0 ड्रेन का लक्ष्य निर्धारित है। उपरोक्त संशोधित कुल लक्ष्य के सापेक्ष आवंटन रू0 2280.00 लाख की धनराशि जिला स्तर पर प्राप्त हो चुकी है, जिसके अन्तर्गत के0सी0 ड्रेन कार्य हेतु रू0 663.29 लाख के सापेक्ष रू0 479.33 लाख की धनराशि प्रखण्ड स्तर पर प्राप्त हो चुकी है।

जिला स्तर पर उपलब्ध धनराशि में से के0सी0 ड्रेन कार्य हेतु रू0 183.96 लाख प्राप्त होना शेष है। 38 डा0 अम्बेडकर ग्रामों में से 14 ग्राम संतुष्ट हो चुके हैं। शेष 24 का कार्य प्रगति में है, अब तक कुल 102.296 कि0मी0 के0सी0 ड्रेन कार्य सम्पादित कर 398.70 लाख रू0 व्यय कर लिया गया है।

प्रपत्र-1.4

मार्गों का निर्माण- ख-III-मजरों को आपस में जोड़ने से सम्बन्धित मार्गों का निर्माण

क्रम सं०	ब्लाक का नाम	डा० अम्बेडकर ग्राम का नाम	मजरे का नाम	लम्बाई (कि०मी० में)	लागत (लाख में)	प्राप्त धनराशि		व्यय (रु० लाख में)	कार्य की अद्यतन स्थिति
						विभाग द्वारा	नरेगा द्वारा		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>लोक निर्माण विभाग-प्रान्तीय खण्ड</b>									
1	पुवायां	वेहटा जा० जेवा	रामनगर सम्पर्क मार्ग	0.20	6.27	5.88	0.18	4.370	100 प्रतिशत, कार्य पूर्ण
2	बण्डा	राटांडा	मूड़ा सम्पर्क मार्ग	0.70	28.85	25.70	1.64	13.653	55 प्रतिशत कार्य प्रगति पर है।
3	खुटार	हंसपुर	पुरविया कालोनी- I सम्पर्क मार्ग	0.80	30.86	27.26	1.45	आर०ई०एस० द्वारा मेन आबादी (अनु०जाति/जनजाति) को हंसपुर सम्पर्क मार्ग से जोड़ दिया गया है।	
4	खुटार	हंसपुर	पुरविया कालोनी- II सम्पर्क मार्ग	2.70	102.22	98.17	4.44	31.700	50 प्रतिशत, कार्य प्रगति पर है।
5	खुटार	हंसपुर	गहिया सम्पर्क मार्ग	1.60	63.12	55.92	2.85	35.262	61 प्रतिशत, कार्य प्रगति पर है।
6	खुटार	सरायं	बालागंज सम्पर्क मार्ग	0.35	15.46	12.96	0.86	9.674	75 प्रतिशत, कार्य प्रगति पर है।
7	सिंधौली	महासिर	झुण्डीपुरवां सम्पर्क मार्ग	0.75	30.79	27.53	1.70	20.461	70 प्रतिशत, कार्य प्रगति पर है।
8	सिंधौली	शेखूपुर	दूल्हापुर सम्पर्क मार्ग	0.22	9.06	8.07	0.27	7.506	100 प्रतिशत, कार्य पूर्ण
<b>प्रान्तीय खण्ड का योग</b>				<b>7.32</b>	<b>286.63</b>	<b>261.49</b>	<b>13.39</b>	<b>122.626</b>	-
<b>लोक निर्माण विभाग-निर्माण खण्ड-1</b>									
1	मदनापुर	चिनौरा बहादुरपुर	कल्यानपुर सम्पर्क मार्ग	2.60	107.15	95.45	5.84	78.900	53 प्रतिशत, कार्य प्रगति पर है।
2	मदनापुर	चिनौरा बहादुरपुर	प्रतापनगर सम्पर्क मार्ग	1.40	57.71	51.41	3.14	33.600	53 प्रतिशत, कार्य प्रगति पर है।
3	कांट	सिकन्दरपुर खुर्द	नौसरा सम्पर्क मार्ग	0.50	15.66	14.68	0.20	14.300	100 प्रतिशत, कार्य पूर्ण
4	तिलहर	करौदा	लक्ष्मीपुर सम्पर्क मार्ग	2.30	91.83	82.24	4.66	54.200	51 प्रतिशत कार्य प्रगति पर है।
5	जलालाबाद	ढका ता० उजेरा	मढ़ैया घुसाई सम्पर्क मार्ग	1.90	87.71	79.16	2.77	39.800	60 प्रतिशत, कार्य प्रगति पर है।
<b>निर्माण खण्ड-1 का योग</b>				<b>8.70</b>	<b>360.06</b>	<b>322.94</b>	<b>16.61</b>	<b>220.800</b>	-
<b>जनपद का योग</b>				<b>16.02</b>	<b>646.69</b>	<b>584.43</b>	<b>30.00</b>	<b>343.426</b>	-

## ग्रामीण विद्युतीकरण/अम्बेडकर ग्रामों का संतृप्तीकरण 2011-12

विद्युत वितरण मण्डल शाहजहांपुर के अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम शाहजहापुर के अधीन ग्रामीण क्षेत्र आता है, जिसमे शासन द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत वर्ष-2011-12 में 38 ग्रामों एवं 22 मजरों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित करते हुये 314.75 लाख रू० की वित्तीय आवश्यकता है।

चयनित 38 ग्रामों एवं 22 मजरों के विद्युतीकरण के लक्ष्य के सापेक्ष वर्तमान में 31 ग्राम व 14 मजरे (अनु०जाति बाहुल्य) में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

समस्त कार्य शासन द्वारा निर्धारित अवधि में पूर्ण करा लिया जायेगा।

### संतृप्त ग्राम:-

- |  |                                 |                                 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. ढका ता० उजरा (जलालाबाद),              | 2. लालपुर नयागांव (जलालाबाद),   | 3. बवौरी (सिंधौली),             |
| 4. सिकन्दरपुर खुर्द (कांठ),              | 5. बरतारा (भावलखेडा),           | 6. महासिर (सिंधौली),            |
| 7. बिलसण्डी खुर्द (पुवायाँ),             | 8. पीरू (पुवायाँ),              | 9. करखेडा (बण्डा),              |
| 10. चक भिठारा (भावलखेडा),                | 11. बण्डरिया (भावलखेडा),        | 12. राय टांडा (बण्डा),          |
| 13. सिंगरहा सिंगरही (भावलखेडा)           | 14. लुहिचा (बण्डा),             | 15. धनसिंहपुर (खुटार),          |
| 16. जसबन्तपुर उर्फ जमीने जेंवा (पुवायाँ) | 17. आनन्दपुर (पुवायाँ),         | 18. महमन्दपुर सैजनिया (पुवायाँ) |
| 19. रसवां कलां (खुटार)                   | 20. सरायं साधौ (जलालाबाद)       | 21. पट्टी बहादुरपुर (भावलखेडा)  |
| 22. नभीची (बण्डा)                        | 23. बिलसण्डी बुजुर्ग (पुवायाँ), | 24. चन्यौरा बहादुरपुर (मदनापुर) |
| 25. आवां दुगईया (पुवायाँ)                | 26. इटौली (पुवायाँ)             | 27. संगेडी (कलान)               |
| 28. रामपुर ननकारी (भावलखेडा),            | 29. अजीजपुर (निगोही)            | 30. बिछौली (निगोही),            |
| 31. हंसपुर (खुटार)                       |                                 |                                 |

### संतृप्त मजरे:-

- |                           |                              |                        |
|---------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1. झुण्डीपुरवा (सिंधौली)  | 2. मढिया गुसाईं (जलालाबाद)   | 3. अर्सिया (भावलखेडा)  |
| 4. बिल्हैया (भावलखेडा)    | 5. सिंगरहा (भावलखेडा)        | 6. वैवहा (बण्डा)       |
| 7. खेडा बहादुरपुर (बण्डा) | 8. महारानीगंज (खुटार)        | 9. दूल्हापुर (सिंधौली) |
| 10. नौसारा (कांठ)         | 11. लक्ष्मनपुर गौटिया(बण्डा) | 12. बालागंज (खुटार)    |
| 13. बरगदिया(खुटार)        | 14. प्रसादपुर (खुटार)        |                        |

## डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना- स्वच्छ पेयजल

वर्ष 2011-12 में योजनान्तर्गत लक्षित 36 डॉ0 अम्बेडकर ग्रामों में 157 नये हैण्डपम्पों की स्थापना के लक्ष्य के सापेक्ष धनराशि 51.81 लाख रु0 की वित्तीय आवश्यकता है । लक्षित समस्त 36 ग्रामों को संतृप्त कर 157 हैण्ड पम्पों का अधिष्ठापन किया गया है।

### संतृप्त ग्राम

- |                                 |   |                              |                                 |
|---------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|
| 1. ढका ता0 उजरा (जलालाबाद),     | 2. पचपेड़ा (सिंधौली),                   | 3. संगेडी (कलान)             | 4. आवां दुगईया (पुवायाँ)        |
| 5. लालपुर नयागांव (जलालाबाद)    | 6. धनसिंहपुर (खुटार)                    | 7. राय टांडा (बण्डा)         | 8. बरतारा (भावलखेडा)            |
| 9. रामपुर ननकारी (भावलखेडा),    | 10. बवौरी (सिंधौली),                    | 11. करौंदा(मदनापुर),         | 12. सराय-साधौ (जलालाबाद),       |
| 13. महमूदपुर हरा (तिलहर),       | 14. इटौली (पुवायाँ)                     | 15. शेखूपुर (सिंधौली),       | 16. सिंगरहा सिंगरही (भावलखेडा), |
| 17. पट्टी बहादुरपुर (भावलखेडा), | 18. लड़ती (खुटार),                      | 19. करखेडा (बण्डा),          | 20. लुहिचा (बण्डा),             |
| 21. सिकन्दरपुर खुर्द (कांठ),    | 22. पीरू (पुवायाँ),                     | 23. हंसपुर (खुटार),          | 24. रसवां कलां (खुटार),         |
| 25. आनन्दपुर (पुवायाँ),         | 26. बिछौली (निगोही),                    | 27. अजीजपुर (निगोही)         | 28. बिलसण्डी बुजुर्ग (पुवायाँ)  |
| 29. वेहटा ज0 जेवा (पुवायाँ),    | 30. महासिर (सिंधौली),                   | 31. बिलसण्डी खुर्द (पुवायाँ) |                                 |
| 32. चन्थौरा बहादुरपुर (मदनापुर) | 33. जसबन्तपुर उर्फ जमीने जेवा (पुवायाँ) | 34. नभीची (बण्डा)            |                                 |
| 35. महमन्दपुर सैजनिया(पुवायाँ)  | 36. सरायं (खुटार)                       |                              |                                 |

### संतृप्त मजरे:-

- |                              |                         |                         |                             |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1. झुण्डीपुरवा (सिंधौली)     | 2. लक्ष्मीपुर (मदनापुर) | 3. मूढ़ा (बण्डा)        | 4. बिल्हैया (भावलखेडा)      |
| 5. प्रसादपुर (खुटार)         | 6. बरगदिया (खुटार)      | 7. महारानीगंज (खुटार)   | 8. पुरविया कालोनी-I (खुटार) |
| 9. पुरविया कालोनी-II (खुटार) | 10. गहिया फार्म (खुटार) | 11. वैवहा (बण्डा)       | 12. रामनगर (पुवायाँ)        |
| 13. नौसारा (कांठ)            | 14. लक्ष्मनपुर (बण्डा)  | 15. प्रतापनगर (मदनापुर) | 16. बालागंज (खुटार)         |
| 17. खेडा बहादुरपुर (मदनापुर) | 18. कल्यानपुर (मदनापुर) |                         |                             |

## डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना- 4-अनुसूचित जाति बस्तियों में सोलर लाइट लगाना

प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास विभाग पत्र सं0 43/5/डॉ0अ0ग्रा0स0वि0वि0/11 दिनांक 21 अप्रैल, 2011 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में वर्ष 2011-12 में चयनित डा0 अम्बेडकर ग्रामों की अनु0 जाति/जन जाति बाहुल्य बस्तियों जिनमें अनु0 जाति/जनजाति के आवासों की न्यूनतम सं0 25 हो तथा जहाँ सोडियम/सोलर स्ट्रीट लाइट न लगी हो, के प्रस्ताव/कार्य योजना निदेशक, नेडा उ0प्र0 को तथा डॉ0 अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग को दिनांक 02.05.2011 को प्रेषित की गयी थी।

उक्त के क्रम में जिन डॉ0 अम्बेडकर ग्रामों/मजरों में अनु0जाति के आवासों की संख्या 100 प्रतिशत हैं, में सोलर स्ट्रीट लाइट के स्थापना हेतु जनपद के लिये कुल 105 सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना की स्वीकृति प्राप्त हुयी है। 105 अदद सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना हेतु रू0 18500.00 की दर से कुल रू0 19.425 लाख का परिव्यय स्वीकृत है। चयनित 38 डॉ0 अम्बेडकर ग्रामों के सापेक्ष 3 डॉ0 अम्बेडकर ग्रामों तथा 7 डॉ0 अम्बेडकर ग्रामों के 9 मजरों अर्थात् कुल 10 डॉ0 अम्बेडकर ग्रामों व 9 मजरों में 105 सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना की जानी है। अवशेष 28 ग्राम निर्देशानुसार सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना हेतु मानक के अन्तर्गत नहीं आते हैं। 02 डॉ0 अम्बेडकर ग्रामों तथा 02 डॉ0 अम्बेडकर ग्रामों के 03 मजरों अर्थात् कुल 04 डॉ0 अम्बेडकर ग्रामों व 03 मजरों में 34 अदद सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना का कार्य पूर्ण हो गया है, शेष की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

### संतुप्त ग्राम:-

1. हंसपुर (खुटार),
2. आनन्दपुर (पुवायाँ)
3. वेहटा ज0 जेवा (पुवायाँ)
4. शेखूपुर (सिंधौली)

### संतुप्त मजरे:-

1. पुरबिया कालोनी-I(खुटार)
2. पुरबिया कालोनी-II (खुटार)
3. दुल्हापुर (सिंधौली)

## डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजनान्तर्गत –स्वच्छ शौचालय

डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा योजना वर्ष 2011-12 में चयनित डॉ0 अम्बेडकर ग्रामों में शौचालय निर्माण हेतु बी0पी0एल0 परिवारों में शतप्रतिशत तथा ए0पी0एल0 परिवारों हेतु 10 प्रतिशत शौचालयों का निर्माण कराया जाता है। योजनान्तर्गत बी0पी0एल0 परिवार हेतु प्रति शौचालय इकाई लागत 4940.00 रु0 निर्धारित है, जिसमें से 4540.00 रु0 शासकीय अनुदान (धनराशि 2340 रु0 विशेष प्रोत्साहन राशि, 1500 रु0 केन्द्रांश 700 रु0 राज्यांश) तथा रु0 400.00 रु0 लाभार्थी अंशदान है। इसी प्रकार ए0पी0एल0 परिवार हेतु 1900.00 रु0 है, जिसमें शासकीय अनुदान 1500.00 रु0 तथा 400.00 रु0 लाभार्थी अंश है।

वर्ष 2011-12 में चयनित 38 डॉ0 अम्बेडकर ग्रामों में स्वच्छ शौचालयों का निर्धारित भौतिक लक्ष्य 3887 के सापेक्ष वित्तीय लक्ष्य रु0 162.881 लाख धनराशि अवमुक्त कर दी गई है, जिसके सापेक्ष 35 डॉ0 अम्बेडकर ग्राम संतृप्त करते हुए रु0 141.70 लाख धनराशि का उपभोग कर लिया गया है।

**संतृप्त ग्राम :-**

- |                                |   |                                |                                |
|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. सिंगरहा-सिंगरही (भावलखेडा), | 2. करर खेडा (बण्डा),                    | 3. बरतारा (भावलखेडा)           | 4. पचपेड़ा (सिंधौली)           |
| 5. सराय (खुटार)                | 6. शेखूपुर (सिंधौली)                    | 7. आवां दुगैया (पुवायाँ)       | 8. पीरू (पुवायाँ)              |
| 9. अजीजपुर (निगोही)            | 10. करौंदा (मदनापुर)                    | 11. बिलसण्डी बुजुर्ग (पुवायाँ) | 12. बिलसण्डी खुर्द (पुवायाँ)   |
| 13. संगेडी, (कलान)             | 14. आनन्दपुर (पुवायाँ)                  | 15. चक भिटारा (भावलखेडा)       | 16. पट्टी बहादुरपुर (भावलखेडा) |
| 17. बिछौली (निगोही)            | 18. लड़ती (खुटार)                       | 19. महासिर (सिंधौली)           | 20. सिकन्दरपुर खुर्द (कांठ)    |
| 21. महमूदपुर हरा (तिलहर)       | 22. इटौली (पुवायाँ)                     | 23. बन्दरिया (भावलखेडा)        | 24.ढका ता0 उजरा (जलालाबाद)     |
| 25..लालपुर नयागॉव (जलालाबाद)   | 26. लुहिचा (बण्डा)                      | 27. हंसपुर (खुटार)             | 28. धनसिंह पुर (खुटार)         |
| 29. महमदपुर सैजनियां (पुवायाँ) | 30. जसबन्तपुर उर्फ जमीने जेवा (पुवायाँ) | 31. सराय-साधौ (जलालाबाद)       | 32. रामपुर ननकारी (भावलखेडा),  |
| 33. बवौरी (सिंधौली),           | 34. रसवां कलां (खुटार),                 | 35. वेहटा ज0 जेवा (पुवायाँ)    |                                |

## डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजनान्तर्गत –आवासहीन को आवास उपलब्ध कराना

वित्तीय वर्ष 2011-12 में डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजनान्तर्गत 4884 आवासों का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके लिए 2197.80 लाख रु0 निर्धारित है।

- 1- इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत डॉ0 अम्बेडकर ग्रामों हेतु 1542 आवासों का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके सापेक्ष शासन से रु0 693.90 लाख धनराशि प्राप्त हुयी है, जिससे 1542 आवासों को प्रथम किस्त व द्वितीय किस्त अवमुक्त कर 1235 आवास पूर्ण कराये जा चुके हैं तथा 307 आवास निर्माणाधीन है।
- 2- महामाया आवास योजनान्तर्गत डॉ0 अम्बेडकर ग्रामों हेतु 3002 का लक्ष्य निर्धारित है। शासन से प्राप्त धनराशि से 3577 आवासों को प्रथम एवं द्वितीय किस्त जारी कर रु0 1609.65 लाख धनराशि लाभार्थियों के खातों में अवमुक्त कर 2658 आवास पूर्ण करा दिये गये हैं तथा 919 आवास निर्माणाधीन हैं।
- 3- महामाया सर्वजन आवास योजनान्तर्गत डॉ0 अम्बेडकर ग्रामों हेतु 340 का लक्ष्य निर्धारित हैं। शासन से प्राप्त धनराशि से 385 आवासों को प्रथम एवं द्वितीय किस्त जारी कर 375 आवास पूर्ण कराये जा चुके हैं तथा 10 आवास निर्माणाधीन हैं।

संतृप्त ग्राम:-

- |                              |                                 |  |                            |
|------------------------------|---------------------------------|--|----------------------------|
| 1. ढका ता0 उजरा (जलालाबाद),  | 2. पचपेड़ा (सिंधौली),           | 3. संगेडी (कलान)                       | 4. आवां दुगईया (पुवायॉ)    |
| 5. लालपुर नयागांव (जलालाबाद) | 6. धनसिंहपुर (खुटार)            | 7. बवौरी (सिंधौली)                     | 8. करौंदा(मदनापुर),        |
| 9. सराय-साधौ (जलालाबाद),     | 10. महमूदपुर हरा (तिलहर),       | 11. इटौली (पुवायॉ)                     | 12. लड़ती (खुटार),         |
| 13. कर्खेडा (बण्डा),         | 14. सिकन्दरपुर खुर्द (कांठ)     | 15. पीरू (पुवायॉ),                     | 16. हंसपुर (खुटार),        |
| 17. रसवां कलां (खुटार),      | 18. आनन्दपुर (पुवायॉ)           | 19. बिछौली (निगोही)                    | 20. वेहटा ज0 जेवा (पुवायॉ) |
| 21. बिलसण्डी खुर्द (पुवायॉ)  | 22. चन्धौरा बहादुरपुर (मदनापुर) | 23. जसबन्तपुर उर्फ जमीने जेवा (पुवायॉ) |                            |
| 24. सरायं (खुटार)            | 25. राय टांडा (बण्डा)           | 26. नभीची (बण्डा)                      | 27. अजीजपुर (निगोही)       |
| 28. महासिर (सिंधौली)         | 29. शेखूपुर (सिंधौली)           | 30. लुहिचा (बण्डा)                     |                            |

संतृप्त मजरे:-

- |                              |                             |                              |                        |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1. मढिया गोसाईं (जलालाबाद)   | 2. लक्ष्मीपुर (मदनापुर)     | 3. प्रसादपुर (खुटार)         | 4. बरगदिया (खुटार)     |
| 5. महारानीगंज (खुटार)        | 6. पुरविया कानोनी-I (खुटार) | 7. पुरविया कानोनी-II (खुटार) | 8. गहिया फार्म (खुटार) |
| 9. रामनगर (पुवायॉ)           | 10. नौसारा (कांठ)           | 11. प्रतापनगर (मदनापुर)      | 12. बालागंज (खुटार)    |
| 13. खेडा बहादुरपुर (मदनापुर) | 14. कल्यानपुर (मदनापुर)     | 15. मूढा (बण्डा)             | 16. बैवहा (बण्डा)      |
| 17. लक्ष्मनपुर (बण्डा)       | 18. झुण्डीपुरवा (सिंधौली)   | 19. दुल्हापुर (सिंधौली)      |                        |

## डॉ० अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजनान्तर्गत –आवासहीन को आवासीय पट्टा

डॉ० अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना वर्ष 2011–12 में चयनित 38 डॉ० अम्बेडकर ग्रामों में लक्षित 1 ग्राम में 20 लाभार्थियों को 0.121 हैक्टे० आवासीय भूमि (पट्टे का आवंटन) से लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके सापेक्ष लक्षित ग्राम में समस्त 20 अनु०जाति के लाभार्थियों को पट्टे का आवंटन कर लक्ष्य के सापेक्ष शतप्रतिशत पूर्ति कर प्राप्त कर ली गयी है।

संतुप्त ग्राम – नभीची (बण्डा)

## डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजनान्तर्गत –भूमिहीन को कृषि योग्य भूमि पट्टा

डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना वर्ष 2011-12 में चयनित 38 डॉ0 अम्बेडकर ग्रामों में लक्षित 07 ग्रामों में 48 लाभार्थियों को 8.176 हैक्टे0 कृषि योग्य भूमि (पट्टे का आवंटन) से लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चिन्हित समस्त 48 लाभार्थी अनु0जाति श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। जिसके सापेक्ष लक्षित 07 ग्रामों को संतृप्त कर अनु0जाति के समस्त 48 लाभार्थियों को कुल 8.176 हैक्टे0 कृषि योग्य भूमि का आवंटन कर लक्ष्य के सापेक्ष शतप्रतिशत पूर्ति कर प्राप्त कर ली गयी है।

### संतृप्त ग्राम:-

1. संगेड़ी (कलान),
2. चन्दौरा बहादुरपुर (मदनापुर),
3. रामपुर नानकारी (भावलखेडा),
4. बरतारा (भावलखेडा),
5. नभीची (बण्डा)
6. करखेडा (बण्डा),
7. लुहिचा (बण्डा)

## मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना-वर्ष 2008-09

मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में 1500 नग भवनों का लक्ष्य था, जिसे उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की बरेली मोड़ योजना सं0-3 शाहजहाँपुर के सेक्टर-4 में निर्मित कर पूर्ण किया जा चुका है एवं लाभार्थियों को भवनों का कब्जा दिया जा चुका है तथा भवनों में निवास कर रहे हैं।

### प्रथम चरण

1. कुल निर्मित आवास 1500 जिसके सापेक्ष आवंटन 1500 ।
2. मा0 मुख्यमंत्री जी के भ्रमण के निरीक्षण बिन्दु में ओवर हेड टैंक का निर्माण कार्य चल रहा है, जो निर्धारित अवधि 25.10.11 तक पूर्ण होना सम्भावित है, परन्तु वर्तमान में माह नवम्बर 2011, तक पूर्ण होने का आवश्वासन दिया गया है, जिसके सम्बन्ध में अधि0अभि0, जल निगम के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु अध्यक्ष जल निगम को कार्यालय के पत्र संख्या 1470/टी0ए0सी0 दि0 29.10.2011 व 1485 दिनांक 09.11.2011 के माध्यम से प्रेषित करते हुये प्रमुख मा0 मुख्यमंत्री जी व अन्य को पृष्ठाकित पत्र प्रेषित किये गये हैं।
3. प्रथम चरण में उक्त ओवर हेड टैंक हेतु प्रथम किस्त के रूप में 33.03 लाख रू0 की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसका उपयोगिता प्रमात्र पत्र प्रेषित किया जा चुका है। द्वितीय किस्त 33.03 लाख रू0 की धनराशि अभी तक शासन से अवमुक्त नहीं हुई है।
4. 6 दुकानों का निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 आवास विकास परिषद बरेली को शासनादेश संख्या 460 का0यो0आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2 दिनांक 24.06.2011 के अन्तर्गत अवस्थापना निधि से 43.76 लाख की धनराशि/दुकानों के निर्माण हेतु स्वीकृति की गयी, परन्तु निर्माण कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। सीवर लाइन के चोक होने के व लगाये गये टायल्स भी उखड़ने लगे हैं। इस हेतु अधि0अभि0 को कई वार कार्य पूर्ण कराने तथा गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने विषयक निर्देश दिये गये, परन्तु कार्यदायी संस्था ने कोई अपेक्षित सुधार न होने पर अधि0अभि0 के विरुद्ध कार्यवाही हेतु कार्यालय के पत्र संख्या 1471/टी0ए0सी0 दिनांक 29.10.2011 व 1484 दिनांक 09.11.2011 प्रमुख सचिव को सम्बोधित तथा अन्य को पृष्ठाकित प्रेषित किया गया है।
5. प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कार्य चल रहा है।

## मान्यवर श्री कांषीराम जी शहरी गरीब आवास योजना-वर्ष 2009-10

मा0 श्री कांषीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत द्वितीय चरण में 264 नग भवनों का लक्ष्य निर्धारित है, जिसे उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा जलालाबाद में 156 नग भवन तथा तिलहर में 108 नग भवनों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

### द्वितीय चरण

1. नगर पालिका परिषद, जलालाबाद में 156 के सापेक्ष 156 आवासों तथा नगर पालिका परिषद तिलहर में 108 के सापेक्ष 108 आवासों का आवंटन हो चुका है। कार्यदायी संस्था उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद का आवासों में आन्तरिक फिनिषिंग एवं वाह्य कार्य चल रहा है। आवासों को अभी तक हस्तगत न किये जाने के कारण आवंटियों को कब्जा नहीं दिया जा सका है।
2. नगर पालिका परिषद जलालाबाद/तिलहर में विद्युत लाइन पड़ चुकी है। आवासों के मध्य परिवर्तक लगाने का कार्य लम्बित है।
3. नगर पालिका परिषद जलालाबाद में लोक निर्माण विभाग द्वारा पहुँच मार्ग का निर्माण कराया जा रहा है। धनराशि प्राप्त हो गयी है। नगर पालिका परिषद तिलहर में आन्तरिक सड़क व नाली का कार्य प्रगति पर है।
4. जल निगम द्वारा नगर पालिका परिषद जलालाबाद/तिलहर के ओवर हेड टैंक नलकूप निर्माण हेतु धनराशि प्राप्त हो चुकी है।
5. योजना में प्रस्तावित नलकूप निर्माण पूर्ण हैं। जलालाबाद में षिरोपरि जलाशय का कार्य वाटम डोम तक पूर्ण हो चुका है। वर्टिकल वाल का कार्य प्रगति पर है। तिलहर में षिरोपरि जलाशय का कार्य स्ट्रेजिंग तक पूर्ण है। वाटर डोम के निर्माण हेतु सटरिंग लगायी जा रही है। निर्धारित समय माह दिसम्बर, 2011 किये जाने का आश्वासन दिया गया है।
6. आन्तरिक फिनिषिंग व नाली का कार्य प्रगति पर है।

### तृतीय चरण

1. नगर पालिका परिषद, पुवायों में 536 भवनों के निर्माण हेतु भूमि कार्यदायी संस्था उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद बरेली को हस्तगत कर दी गयी है।
2. जिलाधिकारी महोदय के स्थलीय निरीक्षण, जिला स्तर पर गठित तकनीकी समिति लो0नि0वि0 के तीनों अभियन्ताओं द्वारा तथा उप जिलाधिकारी पुवायों के निरीक्षण आख्याओं में निर्माण कार्य में घटिया सामग्री उपयोग में लाये जाने के कारण तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य रोक दिया गया है तथा स्थिति से प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2 को अवगत कराते हुये अधि0अभि0 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद बरेली के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा निर्माण कार्य को पुनः शुरू कराये जाने विषयक दिषा निर्देश प्राप्त किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है तथा अन्य को पृष्ठांकित कार्यालय के पत्र 1471 दिनांक 29.10.2011 व 1484 दिनांक 09.11.2011 प्रेषित किया गया है। अभी तक शासन से कोई दिषानिर्देश/कार्यवाही किये जाने विषयक निर्देश प्राप्त नहीं हुये हैं, दिषा निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ कराया जाना सम्भव होगा।
3. भवनों के निर्माण हेतु प्रथम किस्त शासनादेश संख्या 413/26-व0प्र0-111-9सा/09 दिनांक 25.04.2011 में आवंटित धनराशि अंकन 02 करोड़ का चेक संख्या 853094 दिनांक 09.05.2011 व द्वितीय किस्त के रूप में 3.00 करोड़ रू0 की धनराशि चेक संख्या 815356 दिनांक 04.10.2011 के माध्यम से एक मुस्त कार्यदायी संस्था उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद बरेली को उपलब्ध करा दी गयी है।
4. योजना हेतु जल निगम द्वारा अनुमानित लागत 111.67 लाख का प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति एवं धनावंटन हेतु अधि0अभि0 चतुर्थ बरेली मण्डल बरेली को अधि0अभि0 जल निगम द्वारा प्रेषित किया गया है।
5. अन्य विभागों जल निगम, विद्युत विभाग, लोक निर्माण विभाग आदि से सम्बन्धित कार्य पूर्ण किये जाने हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्षों को आगणन समय से प्रेषित किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं परन्तु आगणन समय से प्रेषित न किये जाने के कारण धनावंटन बिलम्ब से प्राप्त होता है, जिसके कारण कार्य समय से पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है।

—: सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना :—

(अनुजाति / जनजाति)

वर्ष 2008-09 से संचालित सावित्री वाई फुले शिक्षा मदद योजना अन्तर्गत कक्षा 10 उत्तीर्ण होकर कक्षा 11 में अध्ययनरत् (संस्थागत) ऐसी छात्राए पात्रता श्रेणी में आती है जिनके अभिभावक बीपीएल/अन्त्योदय कार्ड धारी हो, को कक्षा 11 में अध्ययनरत् रहने पर प्रति छात्रा एक साइकिल एवं रू० 15000/- प्रोत्साहन राशि (छात्रा के बैंक खाते में ) प्रदान की जाती है तथा कक्षा 12 में पहुँचने पर रू० 10000/- की प्रोत्साहन राशि पुनः उनके बैंक खाते में स्थानान्तरित की जाती है।

1- **कक्षा-11 :-** वर्ष 2011-12 में अनुसूचित जाति के प्राप्त 541 आवेदन पत्रों के सापेक्ष सत्यापित 210 आवेदन पत्रों में से 164 आवेदन पत्र पात्र पाये गये हैं।

वर्ष 2010-11 में अनुसूचित जाति को पात्र 357 छात्राओं के सापेक्ष वर्ष 2010-11 में 257 छात्राओं हेतु अनुदान प्राप्त हुआ। प्राप्त अनुदान की धनराशि छात्राओं के बैंक खातों में स्थानान्तरित की जा चुकी है तथा एक साइकिल प्रति छात्रा की दर से 257 छात्राओं को साइकिलें वितरित की जा चुकी है। अवशेष 100 पात्र छात्राओं के सापेक्ष वर्ष 2011-12 में 71 छात्राओं हेतु प्राप्त अनुदान छात्राओं के बैंक खातों में स्थानान्तरित किया जा चुका है। साइकिलें वितरित की जा चुकी हैं। **अवशेष 29 छात्राओं हेतु अनुदान की आवश्यकता है जिसकी मांग विभाग एवं शासन से की गयी है।**

2- **कक्षा-12 :-** वर्ष 2011-12 में अनुसूचित जाति की कुल पात्र 341 छात्राओं के सापेक्ष 226 छात्राओं हेतु धनराशि रू० 10000/- प्रति छात्रा की दर से उनके खातों में स्थानान्तरित की जा चुकी है।

—: सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना :—

( अन्य वर्ग )

वर्ष 2008—09 से संचालित सावित्री वाई फुले शिक्षा मदद योजना अन्तर्गत कक्षा 10 उत्तीर्ण होकर कक्षा 11 में अध्ययनरत् (संस्थागत) ऐसी छात्राए पात्रता श्रेणी में आती है जिनके अभिभावक बी0पी0एल0/अन्त्योदय कार्ड धारी हो, को कक्षा 11 में अध्ययनरत् रहने पर प्रति छात्रा एक साइकिल एंव रू0 15000/— प्रोत्साहन राशि (छात्रा के बैंक खाते में ) प्रदान की जाती है तथा कक्षा 12 में पहुँचने पर रू0 10000/— की प्रोत्साहन राशि पुनः उनके बैंक खाते में स्थानान्तरित की जाती है।

1— **कक्षा—11** :- वर्ष 2011—12 में अन्य वर्ग के प्राप्त 2727 आवेदन पत्रों के सापेक्ष सत्यापित 1202 आवेदन पत्रों में से 501 आवेदन—पत्र पात्र पाये गये, जिसके सापेक्ष 291 छात्राओं को रू0 15000.00 प्रति छात्रा की दर से प्रोत्साहन राशि उनके खातों में स्थानान्तरित की जा चुकी है। साइकिलों की आपूर्ति होने पर वितरित कर दी जायेंगी।

वर्ष 2010—11 में अन्य वर्ग की पात्र 1691 छात्राओं के सापेक्ष वर्ष 2010—11 में 846 छात्राओं हेतु अनुदान प्राप्त हुआ। प्राप्त अनुदान की धनराशि छात्राओं के बैंक खातों में स्थानान्तरित की जा चुकी है तथा एक साइकिल प्रति छात्रा की दर से 846 छात्राओं को साइकिलें वितरित की जा चुकी है। अवशेष 845 पात्र छात्राओं के सापेक्ष वर्ष 2011—12 में 752 छात्राओं हेतु अनुदान प्राप्त हुआ जिसको छात्राओं के खातों में रू0 15000.00 प्रति छात्रा की दर से छात्राओं के बैंक के खातों में स्थानान्तरित किया जा चुका है तथा एक साइकिल प्रति छात्रा की दर से 752 छात्राओं को साइकिल वितरित की जा चुकी हैं। **अवशेष 93 छात्राओं हेतु अनुदान की मांग विभाग/शासन से की गयी है।**

2— **कक्षा—12** :- वर्ष 2011—12 में अन्य वर्ग की कुल पात्र 1646 छात्राओं के सापेक्ष 1553 छात्राओं हेतु धनराशि रू0 10000/— प्रति छात्रा की दर से उनके खातों में स्थानान्तरित की जा चुकी है।

वर्ष 2009—10 में अन्य वर्ग की कुल पात्र 1045 छात्राओं के सापेक्ष 938 छात्राओं हेतु अनुदान वर्ष 2010—11 में प्राप्त हुआ। प्राप्त अनुदान की धनराशि रू0 10000/— प्रति छात्रा की दर से उनके खातों में स्थानान्तरित की जा चुकी है। अवशेष 107 छात्राओं के सापेक्ष 2011—12 में 77 छात्राओं हेतु अनुदान प्राप्त हुआ जिसको छात्राओं के खातों में रू0 10000/— प्रति छात्रा की दर से स्थानान्तरित कर दिया गया है। **अवशेष 30 छात्राओं हेतु अनुदान की मांग विभाग/शासन से की गयी है।**

**-: सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना – योग :-**

वर्ष 2008-09 से संचालित सावित्री वाई फुले शिक्षा मदद योजना अन्तर्गत कक्षा 10 उत्तीर्ण होकर कक्षा 11 में अध्ययनरत् (संस्थागत) ऐसी छात्राए पात्रता श्रेणी में आती है जिनके अभिभावक बी0पी0एल0/अन्त्योदय कार्ड धारी हो, को कक्षा 11 में अध्ययनरत् रहने पर प्रति छात्रा एक साइकिल एवं रू0 15000/- प्रोत्साहन राशि (छात्रा के बैंक खाते में) प्रदान की जाती है तथा कक्षा 12 में पहुँचने पर रू0 10000/- की प्रोत्साहन राशि पुनः उनके बैंक खाते में स्थानान्तरित की जाती है।

- 1- **कक्षा-11 :-** वर्ष 2011-12 में प्राप्त कुल 3268 आवेदन-पत्रों के सापेक्ष सत्यापित 1412 आवेदन-पत्रों में से 665 आवेदन-पत्र पात्र पाये गये जिसके सापेक्ष 291 छात्राओं को रू0 15000.00 प्रति छात्रा की दर से प्रोत्साहन राशि उनके खातों में स्थानान्तरित की जा चुकी है। साइकिलों की आपूर्ति होने पर वितरित कर दी जायेंगी।

वर्ष 2010-11 में अवशेष 945 पात्र छात्राओं के सापेक्ष वर्ष 2011-12 में 945 छात्राओं हेतु अनुदान प्राप्त हुआ जिसको छात्राओं के खातों में रू0 15000.00 प्रति छात्रा की दर से छात्राओं के बैंक के खातों में स्थानान्तरित किया जा चुका है तथा एक साइकिल प्रति छात्रा की दर से 945 छात्राओं को साइकिल वितरित की जा चुकी हैं। अवशेष 122 छात्राओं हेतु अनुदान की मांग विभाग/शासन से की गयी है।

- 2- **कक्षा-12 :-** वर्ष 2011-12 में कुल पात्र 1987 छात्राओं के सापेक्ष 1779 छात्राओं हेतु धनराशि रू0 10000/- प्रति छात्रा की दर से उनके खातों में स्थानान्तरित की जा चुकी है।

वर्ष 2009-10 में अवशेष 107 छात्राओं के सापेक्ष 2011-12 में 77 छात्राओं हेतु अनुदान प्राप्त हुआ जिसको छात्राओं के खातों में रू0 10000/- प्रति छात्रा की दर से स्थानान्तरित कर दिया गया है। **अवशेष 30 छात्राओं हेतु अनुदान की मांग विभाग/शासन से की गयी है।**

**(वित्तीय वर्ष 2011-12 में दिनांक नवम्बर 15, 2011 तक अनु0जाति के 541 तथा अन्य वर्ग के 2727 कुल 3268 आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं। आवेदन-पत्रों की फीडिंग के उपरान्त 3268 आवेदन-पत्रों के बी0पी0एल0/अन्त्योदय कार्ड सत्यापन हेतु सूची जिला पूर्ति अधिकारी को प्रेषित की गयी है, जिसके सापेक्ष 1412 आवेदन पत्र सत्यापनोपरान्त प्राप्त हुए है, जिसमें 665 आवेदन पत्र पात्र पाये गये हैं।)**

**—: महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना:—  
(वित्तीय वर्ष 2011—12)**

योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011—12 में कुल धनराशि 391.50 लाख रू0 (201.00 लाख रू0 सामान्य + 190.50 लाख रू0 अनु0जाति) का आवंटन प्राप्त हुआ है जिसके सापेक्ष निर्धारित वार्षिक लक्ष्य 6364 के विरुद्ध कुल 1637 (1000 सामान्य+637 अनु0जाति) लाभार्थियों को लाभान्वित कर धनराशि 391.50 लाख रू0 (201.00 लाख रू0 सामान्य + 128.037 लाख रू0 अनु0जाति) व्यय कर लिया गया है। सामान्य वर्ग में 0.00 लाख रू0 एवं अनु0जाति एवं जनजाति वर्ग में 62.463 लाख रू0 अवशेष है।

## उ0प्र0मा0 मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना

### योजना का संक्षिप्त विवरण

उक्त योजना उ0प्र0 सरकार द्वारा दिनांक 15 जनवरी, 2010 को लागू की गयी। योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे गरीब परिवारों के मुखिया को लाभान्वित करना है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं परन्तु उन्हें बी0पी0एल0 अथवा अन्त्योदय अन्य योजना का राशनकार्ड प्राप्त नहीं है तथा परिवार के किसी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन/विधवा पेंशन/विकलांग पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है। योजना में कम से कम 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाना है।

**देय धनराशि:** रू0 300/—प्रति माह की दर से, रू0 3600/—दो छःमाही किष्टों में(अप्रैल, 2011 से रू0 400/— की दर से)।

- (1) शासनादेश संख्या—185/26—2—2010 दिनांक 15जनवरी, 2010 के द्वारा जनपद शाहजहाँपुर में 30मई, 2010 तक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कुल 304604 लाभार्थियों का चिन्हिकरण करके एन0आई0सी0 सरवर पर अपलोड करा दिया गया।
- (2) शासन द्वारा निर्धारित 16 अंक एवं उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले कुल 98216 लाभार्थियों की सूची एन0आई0सी0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी।
- (3) जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 04.08.2010 से दिनांक 23.08.2010 तक विभिन्न ग्रामसभाओं में खुली बैठकों का आयोजन कराकर आपत्तियां आमंत्रित की गयी तथा उनका निस्तारण किया गया।
- (4) दिनांक 30.08.2010 से 03.09.2010 तक जनपद के विभिन्न स्तर के समस्त अधिकारियों को लगाकर डोर—टू—डोर सत्यापन कराने के उपरान्त कुल **34969** पात्र लाभार्थियों का चयन किया गया जिन्हें एन0आई0सी0 पर अपलोड करा दिया गया।
- (5) 34969 पात्र पाये गये लाभार्थियों के सापेक्ष 34969 लाभार्थियों के फार्म खाते खुलवाकर सम्बन्धित एजेन्सी पर फीड किये जा चुके हैं।
- (6) वर्ष 2011—12 में 83 चिन्हित व्यक्तियों को फीड कराकर विगत वर्ष के 34969 में शामिल कर दिया गया है। 31 मई 2011 तक कुल चिन्हित व्यक्तियों की संख्या 35052 हो चुकी है। जिन्हें पेंशन की धनराशि रू0 841.24 लाख उनके खातों में अन्तरित कर दी गयी है।
- (7) नये शासनादेश के अनुसार अबतक 12805 पात्र लाभार्थियों के फार्म भराकर/खाते खुलवाकर फीड कराने के उपरान्त अपलोड कर लक्ष्य में सम्मिलित करते हुये (35052+12805 = 47857) कुल 47857 लाभार्थी चिन्हित किये गये हैं (सभी लाभार्थियों के खातों में धनराशि प्रेषित कर दी गयी है)।

## उ0प्र0मा0 मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना

### योजना का संक्षिप्त विवरण

उक्त योजना उ0प्र0 सरकार द्वारा दिनांक 15 जनवरी, 2010 को लागू की गयी। योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे गरीब परिवारों के मुखिया को लाभान्वित करना है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं परन्तु उन्हें बी0पी0एल0 अथवा अन्त्योदय अन्य योजना का राशन कार्ड प्राप्त नहीं है तथा परिवार के किसी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन/विधवा पेंशन/विकलांग पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है। योजना में कम से कम 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाना है।

**देय धनराशि:** रू0 300/—प्रति माह की दर से, रू0 3600/—दो छःमाही किष्टों में (अप्रैल, 2011 से रू0 400/— की दर से)।

### वित्तीय वर्ष 2010—11:—

जनपद में उपलब्ध रू0 629.44 लाख प्रथम किश्त (रू0 1800/—छःमाही दिनांक 01 अक्टूबर, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक) के रूप में कुल 34969 लाभार्थियों के खातों में अन्तरित कराया जा चुका है।

### वित्तीय वर्ष 2011—12:—

योजनान्तर्गत जनपद में कुल चयनित (35052+12805=47857) कुल 47857 लाभार्थियों हेतु प्रथम छःमाही किश्त की धनराशि (841.24+307.32=1148.56) 1148.56 लाख रू0 प्राप्त हुयी है, जिसे लाभार्थियों के खातों में प्रेषित कर दिया गया है।

शासनादेश संख्या—936/26—3—2011—मु0स0—2010 दिनांक 06 अप्रैल, 2011 के क्रम में जनपद में सर्वेक्षित 44580 ऐसे व्यक्ति चिन्हित किये गये हैं जो कच्चे फूस के मकान में रह रहे हैं जिन्हे दो माह के अन्दर पात्र व्यक्तियों का चयन करके आवेदन पत्र भराकर, उनके खाते खुलवाकर उन्हें पेंशन दिया जाना है जिसके लिए समस्त खण्ड विकास अधिकारियों/अधिषासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत को पर्याप्त मात्रा में आवेदन पत्र कार्यालय के पत्र संख्या—08 दिनांक 21—04—2011 को उपलब्ध कराते हुए कार्यवाही किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं तथा कार्यालय पत्र संख्या—57 दिनांक 09—05—2011 में इस योजना के अन्तर्गत महिला मुखिया बनाये जाने हेतु निर्देश भी जारी कर दिये गये हैं। जिसके अनुक्रम में स्थिति निम्नवत है—

नये शासनादेश के अनुसार अबतक 12805 पात्र लाभार्थियों के फार्म भराकर/खाते खुलवाकर फीड कराने के उपरान्त अपलोड कर लक्ष्य में सम्मिलित करते हुये (35052+12805 = 47857) कुल 47857 लाभार्थी चिन्हित किये गये हैं तथा सभी लाभार्थियों के खातों में धनराशि प्रेषित कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त 2300 आवेदन पत्रों का फीडिंग कार्य पूर्ण करा लिया गया है, जिसके अपलोड कराने की कार्यवाही की जा रही है।

## रोस्टर के अनुसार विद्युत उपलब्धता

विद्युत वितरण मण्डल शाहजहाँपुर के अन्तर्गत दो खण्ड आते हैं जोकि निम्नवत् हैं—

- क— **विद्युत वितरण खण्ड—प्रथम शाहजहाँपुर**—इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र आता है जिसमें शासन द्वारा 8:00 घन्टे विद्युत आपूर्ति का शिडूल निर्धारित किया गया है एवं माह नवम्बर 15, 2011 तक औसत 7:40 घण्टें विद्युत आपूर्ति की गई।
- ख— **विद्युत वितरण खण्ड—द्वितीय शाहजहाँपुर**—इसके अन्तर्गत शाहजहाँपुर नगरीय क्षेत्र आता है जिसमें शासन द्वारा 18:00 घन्टे विद्युत आपूर्ति का शिडूल निर्धारित किया गया है एवं माह नवम्बर 15, 2011 तक औसत 17:10 घण्टें विद्युत आपूर्ति की गई।

लाईनों में ब्रेकडाउन के कारण निर्धारित घण्टों में कमी की गयी है।

## खराब परिवर्तकों का प्रतिस्थापन

विद्युत वितरण मण्डल शाहजहापुर के अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड—प्रथम शाहजहापुर एवं विद्युत वितरण खण्ड—द्वितीय शाहजहापुर आता है विद्युत वितरण खण्ड—प्रथम शाहजहापुर के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र एवं विद्युत वितरण खण्ड—द्वितीय शाहजहापुर के अन्तर्गत शाहजहापुर नगर आता है। माह नवम्बर 15, 2011 मे विद्युत वितरण खण्ड—प्रथम शाहजहापुर एवं विद्युत वितरण खण्ड—द्वितीय शाहजहापुर मे माह में 56 एवं पिछले माह के 08 परिवर्तक अवशेष थे, इस प्रकार कुल 64 परिवर्तक क्षतिग्रस्त हुये थे जिनमें से 55 परिवर्तक बदल दिये गये हैं अवशेष 09 परिवर्तक एक सप्ताह के अन्दर बदल दिये जायेंगे।

## निर्माण कार्यों की प्रगति- प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत असेवित वस्ती में प्राथमिक विधालय के चयन हेतु प्राथमिक विधालय से कम से कम 01 कि०मी० की दूरी तथा कम से कम 300 की आबादी होना आवश्यक है। वित्तीय वर्ष 2011-12 में 119 नवीन प्रा० विद्यालयों के निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त हुयी है, जिसमें से 118 असेवित वस्तियों का चयन जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा कर लिया गया है। 01 विद्यालय का चयन शेष है। चयनित विद्यालयों के स्थल चयन/ले-आउट की कार्यवाही गतिमान है। परियोजना मुख्यालय से उक्त निर्माण हेतु धनराशि अभी तक अप्राप्त है। प्राथमिक विद्यालय एवं अन्य निर्माण हेतु इकाई लागत निम्नवत है:-

1 प्राथमिक विधालय भवन निर्माण	3.87 लाख प्रति
2 शौचालय निर्माण	0.24 लाख प्रति
3 चाहरदीवारी निर्माण	1.40 लाख
4 विद्युतीकरण	0.11310 लाख
5 किचन निर्माण	0.78500 लाख
6 हैण्ड पम्प निर्माण	0.32 लाख
<b>कुल लागत</b>	<b>6.7281 लाख</b>

## निर्माण कार्यो की प्रगति- अतिरिक्त कक्षा-कक्ष का निर्माण

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत 150 की छात्र संख्या तक 30:1 तथा 200 अथवा उससे अधिक की छात्र संख्या पर 40:1 के आधार पर अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का चयन किया जाता है। इसी मानक के आधार पर विगत वित्तीय वर्ष 2010-11 में सप्लीमेंट्री प्लान के अर्न्तगत प्राथमिक विद्यालयों में 650 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष तथा वर्ष 2011-12 में 600 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिनका चयन किया जा चुका है। इस प्रकार कुल 1250 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों हेतु लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त धनराशि रू0 2512.50 लाख ग्राम शिक्षा निधि खातों में शत प्रतिशत प्रेषित की जा चुकी है। वर्तमान में 270 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष 980 कक्षों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

### प्रपत्र-7.3

#### निर्माण कार्यो की प्रगति-प्राथमिक/सामु0 स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण

चालू वित्तीय वर्ष में कोई भी नया निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं हुआ है। वित्तीय वर्ष में प्राप्त/ अवशेष धनराशि से अपूर्ण कार्यो को पूर्ण कराया जा रहा है।

जनपद शाहजहाँपुर में वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में कुल 11 कार्य अपूर्ण हैं जिनमें सामु0 स्वा0 केन्द्र 08, प्रा0 स्वा0 केन्द्र 03 जिनकी कुल अनुमानित लागत 2606.51 लाख स्वीकृत प्राप्त हुयी। जिसके अर्न्तगत रू0 2606.51 लाख धनराशि शासन से अवमुक्त हुयी। अवमुक्त धनराशि में से रू0 1734.16 लाख धनराशि सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी द्वारा व्यय की जा चुकी है।

#### स्वीकृत कुल कार्य :- 11

पूर्ण कार्य :- 02 {सामु0स्वा0केन्द्र-सिंधौली (हस्तान्तरण प्रपत्र अप्राप्त)व प्रा0स्वा0केन्द्र -विक्रमपुर (हस्तगत)}।

निर्माणाधीन कार्य :-09 {सामु0स्वा0केन्द्र -मदनापुर 68 %, भावलखेडा 55 % जैतीपुर 45 %, ददरौल 80 %, काँठ 80 %, कटरा 08 % पूर्ण है। वर्ष 2009-10 में एन0आर0एच0एम0 के अर्न्तगत स्वीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मिर्जापुर के बाउन्ड्रीवाल का निर्माण 07.10.2011 से प्रारम्भ है। इसके साथ ही प्रा0 स्वा0 केन्द्र देवकली 48 % पूर्ण एवं शेरपुर कुर्रिया 80 % (शेरपुर कुर्रिया का पुनरीक्षित आगणन शासन को प्रेषित, धनाभाव के कारण कार्य बन्द है)}।

सामु0स्वा0केन्द्र मदनापुर, ददरौल, काँठ का निर्माण कार्य माह दिसम्बर, 2011 तक पूर्ण होने की सम्भावना है तथा सामु0स्वा0केन्द्र भावलखेडा, जैतीपुर व प्रा0स्वा0केन्द्र देवकली का निर्माण कार्य मार्च, 2012 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

प्रारूप-7.5

**उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0, शाहजहाँपुर।**

(डॉ0 अम्बेडकर सामुदायिक केन्द्र, शाहजहाँपुर)

शासनादेश संख्या 1181/26-3-2011-01/(ब0प्र0)/09 डी0पी0 दिनांक-19-04-2011, द्वारा जनपद-शाहजहाँपुर, में "41 नग" डॉ0 अम्बेडकर सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। समस्त 41 सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण हेतु स्थल चयन कर निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है। केन्द्रों के निर्माण हेतु 266.50 लाख रु0 का आवंटन के सापेक्ष 255.00 लाख की धनराशि व्यय हुई है।

क्र0 सं0	विकास खण्ड	चयनित सामु0 केन्द्र के ग्राम का नाम	सामु0 केन्द्र निर्माण की स्थिति	सामु0के0नि0 का वर्ष	क्र0 सं0	विकास खण्ड	चयनित सामु0 केन्द्र के ग्राम का नाम	सामु0 केन्द्र निर्माण की स्थिति	सामु0के0नि0 का वर्ष
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	भावलखेड़ा	रामपुर नानकारी	छत पूर्ण	2011-12	22.	बण्डा	लुहिचा	प्लास्टर स्तर	2011-12
2.	भावलखेड़ा	बंडरिया	छत पूर्ण	2011-12	23.	बण्डा	गुरुसण्डा रायपुर	लिनर स्तर	-
3.	भावलखेड़ा	चक भिटारा	छत पूर्ण	2011-12	24.	बण्डा	इन्दरपुर	छत पूर्ण	2002-03
4.	भावलखेड़ा	पट्टी बहादुरपुर	प्लास्टर पूर्ण	2011-12	25.	सिंधौली	बबौरी	छत पूर्ण	2011-12
5.	भावलखेड़ा	सिंगरहा-सिंगरही	छत पूर्ण	2011-12	26.	सिंधौली	महासिर	छत पूर्ण	2011-12
6.	भावलखेड़ा	शाहगंज	छत पूर्ण	2009-10	27.	सिंधौली	शेखूपुर	40 % छत पूर्ण	2011-12
7.	पुवार्याँ	बिलसण्डी बुजुर्ग	लिनर स्तर	2011-12	28.	जलालाबाद	ढका ता0 उजारा	कुर्सी स्तर	2011-12
8.	पुवार्याँ	महमूदपुर सैजनिया	40 % छत पूर्ण	2011-12	29.	सिंधौली	खण्डसार	लिनर स्तर	-
9.	पुवार्याँ	मीरपुर ज0 नाहिल	लिनर स्तर	-	30.	सिंधौली	पचपेड़ा	छत पूर्ण	2011-12
10.	पुवार्याँ	पकड़िया मल्हपुर	छत पूर्ण	-	31.	सिंधौली	बबरा	लिनर स्तर	-
11.	पुवार्याँ	जसबन्तपुर ज0 जेवा	कुर्सी स्तर	2011-12	32.	जलालाबाद	सराय साधौ	छत पूर्ण	2011-12
12.	पुवार्याँ	बुझिया	लिनर स्तर	-	33.	जलालाबाद	लालपुर नयागांव	प्लास्टर स्तर	2011-12
13.	पुवार्याँ	हरैया ज0 गदायसण्डा	लिनर स्तर	-	34.	जलालाबाद	नवादा ता0 चौकी आजमपुर	लिनर स्तर	2010-11
14.	खुटार	इटौली	40 % छत पूर्ण	2011-12	35.	मदनापुर	चन्धौरा बहादुरपुर	40 % छत पूर्ण	2011-12
15.	खुटार	धनसिंहपुर	कुर्सी स्तर	2011-12	36.	मदनापुर	चमरडुही	कुर्सी स्तर	-
16.	खुटार	सराय	छत पूर्ण	2011-12	37.	निगोही	बिछोली	छत पूर्ण	2011-12
17.	निगोही	अजीजपुर	कुर्सी स्तर	2011-12	38.	निगोही	डींग	छत पूर्ण	-
18.	बण्डा	बालेमऊ	लिनर स्तर	-	39.	काँठ	सिकन्दरपुर खुर्द	छत पूर्ण	2011-12
19.	बण्डा	ऊधवपुर	लिनर स्तर	-	40.	काँठ	रहमान नगर माफी	छत पूर्ण	-
20.	बण्डा	नभीची	छत पूर्ण	2011-12	41.	जैतीपुर	भीखमपुर	लिनर स्तर	-
21.	बण्डा	रायटांडा	लिनर स्तर	2011-12					

(वर्ष 2011-12 :- 25, वर्ष 2010-11 :- 01, वर्ष 2009-10 :- 01, वर्ष 2002-03 :- 01 अन्य :- 13)

पूर्व वित्तीय वर्ष 2010-11 में "36 नग " डॉ0 अम्बेडकर सामुदायिक केन्द्रों का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। वह सभी पूर्ण करा दिये गये हैं।

प्रपत्र- 7.6

निर्माण कार्यों की प्रगति-अन्य निर्माण कार्य  
(नोडल विभाग- लोक निर्माण विभाग)

इकाई - लाख रु०/संख्या में

क्र० सं०	योजना का विवरण	वित्तीय वर्ष के पूर्व के अपूर्ण कार्य		वित्तीय वर्ष में स्वीकृत कार्य		वित्तीय वर्ष में		अन्य निर्माण कार्य			वित्तीय व्यय	भौतिक उपलब्धि का प्रतिशत स्तम्भ 10 का (3 + 5) से	वित्तीय प्रगति का प्रतिशत स्तम्भ 12 का 8 से	निर्माण एजेंसी का नाम
		संख्या	लागत	संख्या	धनराशि	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	प्रारम्भ	पूर्ण	अनारम्भ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	स्वा० उप केन्द्र (मल्टीसेक्टरल)	7	57.26	0	0.00	57.26	57.26	4	2	1	28.86	28.57	50.40	यू०पी०प्रो०का०, बरेली।
2	स्वा० उप केन्द्र (एन०आर०एच०एम० एवं अन्य)	13	98.66	0	0	98.66	70.28	7	2	4	53.06	15.38	75.50	05 पैक्सफेड, 04 यू०पी० प्रो०का० बरेली, 04 प्रधान/ए०एन०एम० शाह०
3	आंगनवाड़ी केन्द्र (मल्टीसेक्टरल)	30	152.55	0	0	152.55	89.55	13	17	0	63.70	56.66	71.13	पैक्सफेड, बरेली/श्रम एवं सह० निर्माण संघ, बरेली
4	राजकीय पालीटेक्निक (मल्टीसेक्टरल)(जलालाबाद एवं तिलहर)	2	2460.00	0	0	2460.00	200.00	2	0	0	197.58	0.00	98.79	पैक्सफेड, बरेली
5	इण्टर कालेज भवन (मल्टीसेक्टरल)	1	225.00	0	0	225.00	112.49	1	0	0	41.25	0.00	36.66	पैक्सफेड, बरेली
6	राजकीय पालीटेक्निक, पुवायॉ	1	645.42	0	0	645.42	645.42	1	0	0	225.40	0.00	34.92	समाज कल्याण नि०नि०, शाह०
7	राजकीय पॉलीटेक्निक पुवायॉ में छात्र-छात्रावास	0	0.00	1	92.79	92.79	54.58	1	0	0	0.00	0.00	0.00	समाज कल्याण नि०नि०, शाह०
8	राजकीय पालीटेक्निक शाह० में छात्रावास निर्माण	1	92.79	0	0	92.79	70.00	1	0	0	69.50	0.00	99.29	समाज कल्याण नि०नि०, शाह०
9	कस्तूरबा गौधी बालिका विद्यालय भवनों का निर्माण,शाह० (बण्डा, पुवायॉ, भावलखेडा, कांठ, तिलहर, खुदागंज)	6	374.94	0	0.00	374.94	149.98	6	0	0	65.53	0.00	43.69	समाज कल्याण नि०नि०, शाह०
10	पशु चिकित्सालय भवन (आवासीय/अनावासीय)	6	245.90	0	0	168.06	168.06	6	0	0	162.27	0.00	96.55	1-ग्रा०अभि०से०,3-पैक्सफेड,1-यू०पी० प्रो०का०, 1-जलनिगम बरेली
11	स्वामी विवेकानन्द पब्लिक लाइब्रेरी शाह० में सभागार	1	15.00	0	0	15.00	15.00	1	0	0	7.50	0.00	50.00	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, शाह०
12	स्वामी विवेकानन्द महाविद्यालय में 4 कक्षा-कक्ष का निर्माण	1	25.00	0	0	25.00	25.00	1	0	0	12.50	0.00	50.00	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, शाह०
<b>योग:</b>		<b>69</b>	<b>4392.52</b>	<b>1</b>	<b>92.79</b>	<b>4407.47</b>	<b>1657.62</b>	<b>44</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>927.15</b>	<b>30.00</b>	<b>55.93</b>	

नोट:- 1. क्रम सं० 01 के स्तम्भ 11 में अनारम्भ 01 कार्य - प्रस्तावित भूमि आबादी से दूर होने के कारण प्रारम्भ नहीं है।

2. क्रम सं० 02 के स्तम्भ 11 में अनारम्भ 04 कार्य - निर्माण एजेंसी यू०पी० प्रोजेक्ट कार्पोरेशन बरेली द्वारा शेष 04 स्वा० उप केन्द्र 12.50 प्रतिशत सेन्टेज की धनराशि प्राप्त न होने कारण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया है। उक्त वांछित धनराशि रु० 28.38 लाख उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी महोदय के पत्र सं० 3045 दि० 31.10.11 द्वारा प्रमुख सचिव, चिकि०स्वा० एवं परि०कल्याण से धनराशि की मांग की गई है।

## शिक्षकों/चिकित्सकों/सफाई कर्मियों की उपस्थिति

### शिक्षकों की उपस्थिति:-

जनपद शाहजहाँपुर में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु माह 15 नवम्बर, 2011 तक कुल 2401 निरीक्षण किये गये। निरीक्षण में 119 शिक्षक/शिक्षा मित्र अनुपस्थित पाये गये। जिन पर की गयी कार्यवाही का उल्लेख निम्नानुसार है-

वेतन काटा गया	-	104
अग्रिम आदेश तक वेतन रोका गया	-	09
निलंबन	-	04
चेतावनी	-	02

### चिकित्सकों की उपस्थिति:-

जनपद शाहजहाँपुर में 01 जिला चिकित्सालय, 05 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 14 ब्लॉक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 37 नये प्रा0स्वा0केन्द्र, 03 प्रस्वोत्तर केन्द्र एवं 299 परिवार कल्याण केन्द्र संचालित हैं। इन सभी में चिकित्सकों के कुल स्वीकृत 205 पदों के सापेक्ष 124 चिकित्सक कार्यरत है तथा 81 पद रिक्त चल रहे हैं। चिकित्सालयों में चिकित्सको की उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु जनपद स्तरीय विभिन्न अधिकारियों द्वारा माह 15 नवम्बर, 2011 तक 503 निरीक्षण किये गये और 17 चिकित्सक के अनुपस्थित पाये जाने पर उसका वेतन रोका गया।

अनुपस्थित पाये चिकित्सक- 1- डॉ0 उमेश चन्द्र (अप्रैल) 2-डॉ0 तुफैल अहमद (अप्रैल) 3- डॉ0 सुमन लता (अप्रैल) 4- डॉ0 उमेश चन्द्र (मई) 5- डॉ0 टी0ए0 खान (मई) 6- डॉ0 सुमन लता (मई) 7- डॉ0 सुमन लता (जून) 8- डॉ0 सुमन लता (जुलाई) 9- डॉ0 गजेन्द्र पाल (जुलाई), 10- डॉ0 उमेश चन्द्र (जुलाई) 11- डॉ0 राजीव शर्मा (अगस्त) 12- डॉ0 टी0के0 सक्सेना (अगस्त) 13-डॉ0 राजीव शर्मा (अगस्त) 14-डॉ0 सुमन लता (अगस्त) 15- डॉ0 राजीव शर्मा (सितम्बर) 16- डॉ0 सुमन लता (अक्टूबर) 17- डॉ0 हरिषंकर (नवम्बा)

विभाग के सभी अधिकारियों के द्वारा चिकित्सालयों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु सामान्य/औचक निरीक्षण किये जा रहे हैं।

### सफाई कर्मियों की उपस्थिति:-

जनपद शाहजहाँपुर में सफाई कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु माह 15 नवम्बर, 2011 तक कुल 1258 निरीक्षण किये गये। निरीक्षण में 135 सफाई कर्मी अनुपस्थित पाये गये। जिन पर की गयी कार्यवाही का उल्लेख निम्नानुसार है-

सेवा समाप्त	-	04
वेतन रोका गया	-	05
निलंबन	-	24
वेतन वृद्धि रोकी गयी	-	21
चेतावनी/नोटिस	-	81

प्रारूप-9.1

**छात्र नामांकन तथा उहराव (इण्डीकेटर्स)- 2011-12:-**

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत शैक्षिक सत्र 2011-12 में कराये गये परिवार सर्वेक्षण की गणना के आधार पर प्रा०विद्यालय एवं उच्च प्रा० विद्यालय में नामांकित बच्चे परिषदीय/सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त विद्यालयों के बच्चे जोड़कर नामांकन दर्शाया गया है, जो कि क्रमशः 381508 तथा 254275 है।

सूत्र निम्नवत् है-

Repetition Rate =	$\frac{\text{No. of Repeters in class N in current year}}{\text{Enrolment in class N in previous year}} \times 100$
Promotion Rate (Class N)=	$\frac{\text{Enrolment in class N+1 in current year} - \text{No. of Repeters in class N+1 in current year}}{\text{Enrolment in class N in Previous year}} \times 100$
Dropout Rate =	$100 - (\text{Promotion Rate of Class N} + \text{Repetition Rate of Class N})$
Gender Parity Index (GPI) =	$\frac{\text{Total Numbers of Enrolment of Girls}}{\text{Total Number of Enrolment of Boys}}$
Gender Gap =	$(\% \text{ of Boys Enrolment} - \% \text{ of Girls Enrolment}) \times 100$
Gross Enrolment Ratio (Primary) =	$\frac{\text{Total Enrolment (Class I-V)}}{\text{Population of 6-11 age children}} \times 100$
Gross Enrolment of Ratio (Upper Primary) =	$\frac{\text{Total Enrolment (Class VI-VIII)}}{\text{Population of 11-14 age children}} \times 100$
Gross Completion Rate (Primary) =	$\frac{\text{Enrolment of Class V in Current Year}}{\text{Population of children of age 10 in current Year}} \times 100$
Gross Completion Rate (Upper Primary) =	$\frac{\text{Enrolment of Class VIII in Current Year}}{\text{Population of children of age 14 in current Year}} \times 100$
Gross Admission Rate(PS)=	$\frac{\text{Enrolment of Class I}}{\text{Population of Age 6}} \times 100$
Gross Admission Rate(UPS)=	$\frac{\text{Enrolment of Class VI}}{\text{Population of Age 11}} \times 100$

प्रारूप-9.2

## 6-14 वर्ष के बच्चों के नामांकन की प्रगति - 2011-12

यह सूचना 01 अगस्त, 2011 से 14 अगस्त, 2011 तक कराये गये परिवार सर्वेक्षण के आधार पर बनायी गयी है। 06-11 आयु वर्ग के आउट स्कूल बच्चों 666 तथा 11 से 14 आयु वर्ग के 769 बच्चे कुल 1435 बच्चे चिन्हित किये गये हैं। इस सभी का प्रवेश आयु के अनुसार निकटतम विद्यालयों में करा दिया गया है तथा इन सभी बच्चों हेतु 06 माह का विशेष प्रशिक्षण केन्द्र संचालन करने के उपरान्त मुख्य धारा से जोड़ दिया जायेगा।

### निष्पादन एवं गुणवत्ता – 2011-12

सेवारत शिक्षकों को गुणवत्ता शिक्षा से सम्बन्धित विषयगत एवं विद्यागत प्रशिक्षण प्रत्येक वर्ष कराया जाता है। राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ के पत्रांक 2063 दिनांक 03.08.2011 के क्रम में दिये गये निर्देशों के अनुसार वर्ष 2011-12 में सेवारत शिक्षकों को उक्त प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्य के सापेक्ष माह अक्टूबर, 2011 से सेवारत प्रा0 स्तर के अध्यापकों के प्रशिक्षण का लक्ष्य शतप्रतिशत पूर्ण हो गया है तथा माह नवम्बर, 2011 के लिये निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष प्रशिक्षण सम्पन्न कराये जा रहे हैं। निर्देशानुसार प्रशिक्षण हेतु निर्धारित कुल लक्ष्य के सापेक्ष निम्न प्रकार से मासिक लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

मद	माह	मासिक लक्ष्य
सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण	सितम्बर, 2011	10 प्रतिशत
	अक्टूबर, 2011	30 प्रतिशत
	नवम्बर, 2011	60 प्रतिशत
	दिसम्बर, 2011	80 प्रतिशत
	जनवरी, 2012	95 प्रतिशत
	फरवरी, 2012	100 प्रतिशत

## गर्भवती महिलाओं के लाभ हेतु संचालित योजनाओं की प्रगति

इस योजना के अन्तर्गत जच्चा बच्चा की सुरक्षा हेतु संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिये ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के सरकारी संस्था में प्रसव होने पर 1400.00 रुपये की धनराशि प्रसूता एवं 600.00 रु0 आशा को दिया जाता है। आशा की 600.00 रु0 की धनराशि में 250.00 रु0 प्रसूता को सरकारी संस्था तक लाने व ले जाने (परिवहन) मद में देय है। नगरीय क्षेत्र की महिलाओं को इस मद में 1000.00 रु0 की धनराशि दी जाती है। सभी प्रकार के भुगतानों को चेक के माध्यम से बैंकों द्वारा किया जाता है।

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली दो बच्चों तक घरेलू प्रसव की दशा में भी 500.00 रु0 की धनराशि दी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2011-12 में माह नवम्बर 15, 2011 तक कुल 18340 प्रसूताओं को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है। इसमें से 62 बी0पी0एल0 के घरेलू प्रसव व 18278 संस्थागत प्रसव के लाभार्थी लाभान्वित हुये हैं। इस योजना के अन्तर्गत कुल धनराशि 357.94 लाख प्राप्त हुई, जिसमें से 343.35 लाख का भुगतान किया जा चुका है और शेष 14.59 लाख धनराशि बची है। सभी अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को लक्ष्य पूरा करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है।

टीकाकरण  
(जच्चा-बच्चा सुरक्षा अभियान)

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत नियमित टीकाकरण चलाया जा रहा है। इस अभियान में समस्त गर्भवती महिलाओं एवं 0 से 01 वर्ष तक के बच्चों की ट्रेकिंग की जा रही है तथा सभी बच्चों व गर्भवती महिलाओं को पूर्ण रूप से प्रतिरक्षित किया जा रहा है। माह नवम्बर 15, 2011 तक कुल 95737 लक्ष्य के सापेक्ष 44137 गर्भवती महिलाओं को टी0टी0 के दो टीके लगाये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 81551 बच्चों के लक्ष्य के सापेक्ष 43755 बच्चों को बी0सी0जी0 का टीका, 36214 बच्चों को पोलियो वैक्सीन, 37300 को डी0पी0टी0 का टीका, 38006 बच्चों को खसरे का टीका लगाये जाने के साथ ही 36214 बच्चों को पूर्ण प्रतिरक्षित किया जा चुका है जो कि 44.41 प्रतिशत है।

### प्रपत्र-10.3

#### —:शैय्या उपयोगिता तथा आपरेशन की स्थिति:—

सभी चिकित्सालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों पर माह नवम्बर 15, 2011 में आउटडोर में 47204 तथा इनडोर में 3023 रोगी उपचारित किये गये एवं शैय्या उपयोगिता 94.14 प्रतिशत रही है इस समय 18 सर्जन कार्यरत हैं जिन्होंने अपने निर्धारित लक्ष्य 900 के सापेक्ष 439 आपरेशन कर 48.77 प्रतिशत उपलब्धियाँ अर्जित की हैं।

विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों को चिकित्सालय/स्वास्थ्य केन्द्रों में आने वाले रोगियों को आवश्यकता/स्थिति अनुसार भर्ती कर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधायें देने हेतु निर्देशित किया गया है ताकि शैय्या उपयोगिता दर में प्रगति परिलक्षित हो सके। इसी प्रकार जनपद में उपलब्ध शल्यकों को निर्धारित लक्ष्यानुसार आपरेशन करने हेतु कहा गया है तथा समय-समय पर इसका अनुश्रवण किया जा रहा है।

जनपद के सभी चिकित्सालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों पर आवश्यक एवं जीवन रक्षक औषधियाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। सभी स्थानों पर सांप काटे की वैक्सीन (ए0एस0वी0) उपलब्ध है जिससे आवश्यकतानुसार सम्बन्धित रोगियों को उपचारित किया जा रहा है।

प्रारूप-11

**जे०एन०एन०यू०आर०एम०  
यू०आई०डी०एस०एस०एम०टी० कार्यक्रम के अर्न्तगत शाहजहांपुर नगर पालिका परिषद  
की निर्माणाधीन पेयजल योजना का विवरण**

यू०आई०डी०एस०एस०एम०टी० कार्यक्रम के अर्न्तगत शाहजहांपुर नगर पुनर्गठन पेयजल योजना की भारत सरकार से रू० 9.997 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसके सापेक्ष वर्तमान तक रू० 9.997 करोड़ इस खण्ड को उपलब्ध कराया जा चुका है जिसमें से रू० 5.78 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित कार्य एवं अध्यावधिक प्रगति निम्नानुसार है :-

क्र०सं०	प्रस्तावित कार्य	मात्रा	वर्तमान तक प्रगति	टिप्पणी
1	शिरोपरि जलाशय	1 नग 1000 कि०ली० 1 नग 2250 कि०ली०	1 नग (75%) 1 नग (35%)	कार्य प्रगति पर है।
2	राइजिंग में	3750 मी०	2530 मी०	
3	वितरण प्रणाली	44.749 किमी०	27.90 कि०मी०	
4	पम्प हाउस	6 नग	5 नग	
5	नलकूप	6 नग	6 नग	
6	पम्पिंग प्लांट	6 नग	5 नग	
7	पावर कनेक्सन	6 नग	5 नग	
8	बाउण्ड्रीवाल	400 मी०	20 मी०	

## प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मिड-डे मील योजना

कॉलम सं०- 3 एवं 4 में कुल प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक/बालश्रम/मदरसों/सहायताप्राप्त विद्यालयों की सं०-3222 दर्शायी गयी है तथा इन सभी 3222 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना संचालित है।

कॉलम सं०- 5 में योजना से आच्छादित सभी विद्यालयों का छात्र नामांकन 409395 है। जिनमें (अनु०जाति- 84778, अनु०ज०ज० के- 4 अ०पि०व०-212019 एवं अल्पसंख्यक के 44742) इस प्रकार कुल छात्र नामांकन- 409395 है।

कॉलम सं०- 10 में योजना से लाभान्वित बच्चों की सं० 409395 है। कॉलम सं०-11 में टॉस्क फोर्स द्वारा 79 विद्यालयों का निरीक्षण किया गया है।

कॉलम सं०-13 में टास्कफोर्स के निरीक्षण में (01 विद्यालय) प्रा० विद्यालय थरिया विकास खण्ड मिर्जापुर में मीनू के अनुसार मिड-डे-मील नहीं बना था। इस हेतु अध्यापक को कठोर चेतावनी देते हुए भोजन मीनू के अनुसार बनाने के निर्देश दिये गये।

कॉलम सं०- 14 में कुल छात्र नामांकन के सापेक्ष योजना से लाभान्वित बच्चों का प्रतिशत दर्शाया गया है। इसी प्रकार कॉलम सं०- 15 में कुल किये गये निरीक्षण के सापेक्ष भोजन वितरित पाये गये विद्यालयों की सं० का प्रतिशत है।

परिवर्तन लागत (कनवर्जन कॉस्ट) की दर 1 अप्रैल 2011 से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमशः रू० 2.89 एवं रू० 4.33 प्रतिछात्र प्रतिदिवस लागू है।

खाद्यान्न की मात्रा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमशः 100.00 ग्राम एवं 150.00 ग्राम प्रतिछात्र प्रतिदिवस है।

इसी प्रकार उर्जा (कैलारी) की मात्रा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमशः 450.00 कैलोरी एवं 700.00 कैलारी है।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में प्रगति  
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना

यह योजना भारत सरकार द्वारा संचालित है कि जिसमें सामग्री अंश का 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत समस्त ग्रामीण परिवारों को उनकी मांग के आधार पर 100 दिन का रोजगार दिये जाने की गारन्टी है। इसके लिये हर ग्रामीण परिवार जॉब कार्ड बनवा सकता है, जो उसकी कस्टडी में रहना चाहिये। उसके द्वारा मांगे जाने पर 15 दिन के अन्दर उसे काम काम दिया जाना अनिवार्य है, यदि ऐसा नहीं होता है तो अधिनियम में राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का प्राविधान है। रोजगारी द्वारा किये गये कार्यदिवस व उसे दिये गये भुगतान का अंकन इस जाब कार्ड पर किया जाता है। नरेगा के तहत यह व्यवस्था है कि भुगतान किये गये कार्य के आधार पर प्रचलित न्यूनतम मजदूरी (रु० 120/-) की दर पर बैंक एकाउन्ट के माध्यम से की जायेगी। योजना के तहत नकद धनराशि का भुगतान प्रतिबन्धित है। योजना के तहत कम से कम 33 प्रतिशत महिलाओं को रोजगार दिया जाना वांछित है।

मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011-12 में जनपद का स्वीकृत लेबर बजट रु० 12834.96 लाख है, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष में 3132.80 लाख रु० की धनराशि प्राप्त हुयी है। गत वर्ष की अवशेष धनराशि रु०-3403.842 लाख की धनराशि उपलब्ध थी, इस प्रकार कुल रु० 6536.642 लाख उपलब्ध है। जिसके सापेक्ष नवम्बर 15, 2011 तक कुल रु० 5146.488 लाख की धनराशि व्यय की गई, जो कि माह के लक्ष्य रु० 7500.10 लाख के सापेक्ष 68.62 प्रतिशत है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2011-12 में योजना का भौतिक लक्ष्य 60.54 लाख मानव दिवस निर्धारित है, जिसके सापेक्ष नवम्बर 15, 2011 तक 29.142 लाख मानव दिवस सृजित किये गये हैं, जो कि माह के लक्ष्य 35.377 लाख मानव दिवस के सापेक्ष 82.38 प्रतिशत है तथा नवम्बर 15, 2011 तक 108045 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है, प्रति परिवार औसत रोजगार दिवस 26.92 है। सृजित मानव दिवसों में 18.122 लाख अनु०जाति, 6.687 लाख अन्य पिछड़ा वर्ग, 2.017 लाख अल्पसंख्यक तथा 4.362 लाख महिलाएँ एवं 0.0123 लाख विकलांग हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण

वित्तीय वर्ष 2010–2011 में कुल 11 मार्ग प्रगति में थे, जिनकी लागत रू0 1197.00 लाख थी। वित्तीय वर्ष के सभी 11 मार्ग पूर्ण कर लिये गये हैं। इस वित्तीय वर्ष 2011–2012 हेतु कोई भी कार्य शेष/प्रस्तावित नहीं है।

## ग्रामीण आवास निर्माण योजना का विवरण

**इन्दिरा आवास योजना** के अन्तर्गत बी०पी०एल० सर्वे 2002 के आधार पर तैयार की गयी स्थायी प्रतीक्षा सूची के वरीयता क्रम के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के पात्र लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतु रू० 45000.00 की धनराशि दो किष्टों (प्रथम किष्ट रू० 33750.00 तथा द्वितीय किष्ट रू० 11250.00) में उपलब्ध करायी जाती है।

**महामाया सर्वजन आवास योजना** के अन्तर्गत भी इन्दिरा आवास योजना के अनुसार ही बी०पी०एल० सर्वे 2002 के आधार पर तैयार की गयी स्थायी प्रतीक्षा सूची के वरीयता क्रम के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के पात्र लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतु रू० 45000.00 की धनराशि दो किष्टों (प्रथम किष्ट रू० 33750.00 तथा द्वितीय किष्ट रू० 11250.00) में उपलब्ध करायी जाती है।

**महामाया आवास योजना** के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के आवासहीन पात्र अनु०जाति के लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतु रू० 45000.00 की धनराशि दो किष्टों (प्रथम किष्ट रू० 33750.00 तथा द्वितीय किष्ट रू० 11250.00) में उपलब्ध करायी जाती है।

### इन्दिरा आवास योजना:—

इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत 6090 आवासों का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके लिये रू० 2740.43 लाख वित्तीय परिव्यय स्वीकृत हुआ है। शासन से रू० 1445.966 लाख धनराशि प्राप्त हुयी है, जिसके सापेक्ष 6090 आवासों को प्रथम किश्त रू० 1160.20 लाख तथा 2540 आवासों को द्वितीय किश्त रू० 285.75 लाख कुल रू० 1445.95 लाख धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है। जिसके सापेक्ष 2365 आवास पूर्ण करा दिये गये हैं। शेष 3725 आवास निर्माणाधीन हैं।

### महामाया आवास योजना:—

महामाया आवास योजनान्तर्गत 4555 का लक्ष्य निर्धारित है। शासन से 2049.71 लाख रू० की धनराशि प्राप्त हुयी है, जिसके सापेक्ष 4555 आवासों को प्रथम किश्त तथा 4002 आवासों को द्वितीय किश्त जारी कर 1987.537 लाख रू० की धनराशि लाभार्थियों के खातों में अवमुक्त की जा चुकी है जिसके सापेक्ष 3645 आवास पूर्ण करा दिये गये हैं तथा शेष 910 आवास निर्माणाधीन हैं। 518 लाभार्थियों की धनराशि माह अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में प्राप्त हुयी है।

### महामाया सर्वजन आवास योजना:—

महामाया सर्वजन आवास योजनान्तर्गत 1176 का लक्ष्य निर्धारित है। शासन से 339.35 लाख रू० की धनराशि प्राप्त हुयी है, जिससे 1176 आवासों का निर्माण कराया जा सकता है। जिससे 1176 आवासों को प्रथम/द्वितीय किश्त अवमुक्त कर 1176 आवास पूर्ण कराये जा चुके हैं।

## ग्रामीण विद्युतीकरण

विद्युत वितरण मण्डल शाहजहाँपुर के अधीन विद्युत वितरण खण्ड—प्रथम शाहजहाँपुर में ग्रामीण क्षेत्र के आता है, जिसमें अभिलेखों के अनुसार 2080 ग्राम हैं जिनका विद्युतीकरण किया जा चुका है। जनपद शाहजहाँपुर में 2735 मजरे हैं जिनमें 49 मजरों का विद्युतीकरण पूर्व में मार्च, 2010 तक किया जा चुका है। अवशेष लक्षित 2686 मजरों के सापेक्ष माह तक 09 मजरों को संतृप्त किया जा चुका है तथा उ०प्र० पावर कारपोरेशन निगम के निर्देशानुसार 100 से अधिक आबादी वाले 2543 मजरों के विद्युतीकरण हेतु प्रस्ताव निगम मुख्यालय को भेजा गया है।

## बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार

### कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चों का विवरण

योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 में संचालित जनपद शाहजहाँपुर के 16 बाल विकास परियोजनाओं में जनसंख्या वृद्धिदर के अनुसार 0-6 वर्ष की कुल जनसंख्या 464594 है एवं गर्भवती एवं धात्री महिलाओं की संख्या 101251 है। जनपद में कुल 28748 बच्चे बचन के अनुसार कुपोषित हैं तथा अतिकुपोषित बच्चों की संख्या 101 है।

## बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार

### पोषाहार लाभार्थियों की उपस्थिति का विवरण

योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 में सर्वे के अनुसार 06 माह से 06 वर्ष तक के कुल बच्चे 414289 तथा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं की संख्या 101251 के सापेक्ष अनुजाति के 06 माह से 03 वर्ष के बच्चे 66861 तथा 03 माह से 06 वर्ष के बच्चे 50527, गर्भवती महिलाएं 14129, किशोरी बालिकायें 1125 हैं, अन्य पिछडा वर्ग के 06 माह से 03 वर्ष के बच्चे 61632 एवं 03 से 06 वर्ष के बच्चे 59181 गर्भवती महिलाये 39856, किशोरी बालिकायें 2250 तथा अल्पसंख्यक वर्ग के 06 माह से 03 वर्ष के बच्चे 50155 तथा 03 से 06 वर्ष के बच्चे 26022 गर्भवती एवं धात्री महिलाये 13940 किशोरी बालिकायें 1125 एवं विकलांग वर्ग में 06 माह से 03 वर्ष के बच्चे 27 तथा 03 से 06 वर्ष के बच्चे 15, गर्भवती एवं धात्री महिलाये 6, किशोरी बालिकायें 04 हैं एवं अन्य वर्ग में 06 माह से 03 वर्ष के बच्चे 59850 तथा 03 से 06 वर्ष के बच्चे 71144, गर्भवती एवं धात्री महिलायें 41183, किशोरी बालिकायें 4125 हैं

## सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान

योजनान्तर्गत सामान्य ग्रामों में बी0पी0एल0 लाभार्थी हेतु शौचालय की कुल लागत रू0 2600.00 शासकीय अनुदान (रू0 1500 केन्द्रांश एवं रू0 700 राज्यांश) तथा रू0 400 लाभार्थी अंश है। इसी प्रकार ए0पी0एल0 परिवार हेतु रू0 1900.00 है, जिसमें शासकीय अनुदान 1500.00 तथा 400.00 लाभार्थी अंश है।

वर्ष 2011-12 में स्वच्छ शौचालय का निर्धारित भौतिक लक्ष्य 28151 तथा वित्तीय लक्ष्य रू0 681.90 लाख निर्धारित है, जिसमें 19142 स्वच्छ शौचालय का निर्माण कराते हुये रू0 479.27 लाख धनराशि का उपभोग किया जा चुका है।

## तहसील दिवस में प्राप्त शिकायतों की स्थिति – इण्टरनेट पर सूचना फीड करने की तिथि

जनपद में आयोजित तहसील दिवस(माह के प्रथम मंगलवार) में राजस्व, पुलिस व अन्य विभागों से सम्बन्धित कमशः 121, 78, 93 कुल 292 शिकायतें प्राप्त हुयी। जिसके सापेक्ष राजस्व, पुलिस व अन्य विभागों से सम्बन्धित कमशः 98, 59, 71 कुल 228 शिकायतें निस्तारित कर (निस्तारण प्रतिशत 78.08) दी गयी है। अवशेष शिकायतों के शीघ्र निस्तारण हेतु सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिये गये हैं।

**स्वयं सहायता समूह**  
**स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना**

इस योजना के अन्तर्गत गरीबी की सीमा रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों से 10 से 20 तक की संख्या में स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाता है। समूह के सदस्य अपनी बैठक करके समूह के पदाधिकारियों का चयन करते हैं तथा प्रतिमाह बचत करने वाली धनराशि सर्वसम्मति से निश्चित करके बैंक शाखा में खाता खुलवा कर रखते हैं। आवश्यकता पड़ने पर प्रस्ताव करके धनराशि ऋण के रूप में लेते हैं एवं पुनः समूह को वापस कर देते हैं। गठन के छः माह पश्चात समूह का प्रथम मूल्यांकन किया जाता है तथा सफल समूह को रू0 5000 से रू0 10,000 रिवाल्विंग फण्ड दिया जाता है जिससे समूह के सदस्य लेन-देन करते हैं तथा प्रथम मूल्यांकन के छः माह पश्चात द्वितीय मूल्यांकन किया जाता है तथा सफल समूह को उसकी अभिरूचि के अनुसार बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत किया जाता है। ऋण स्वीकृति उपरान्त अभिकरण कार्यालय से समूह को प्रति सदस्य 10,000/- रू0 अथवा 1.25 लाख जो कम हो, अनुदान अवमुक्त किया जाता है, जो बैंक में जमा रहता है। बैंक अपने स्तर से ऋण के रूप में समूह को स्वीकृत धनराशि उपलब्ध कराता है तथा ऋण की वापसी करता है। बैंक द्वारा ऋण वसूली की निश्चित अवधि के उपरान्त अनुदान के समतुल्य ऋण रह जाने पर अनुदान की राशि समूह के खाते में जमाकर ऋण का खाता बन्द कर दिया जाता है।

**भौतिक/वित्तीय प्रगति :**

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011-12 में भौतिक लक्ष्य 7300 तथा वित्तीय परिव्यय 954.52 लाख निर्धारित किया गया है। भारत सरकार से प्रथम किश्त के रूप में रू0 357.95 लाख तथा राज्यांश के रूप में रू0 242.83 लाख प्राप्त हुआ है। गत वर्ष की अतिरिक्त किश्त भारत सरकार से 349.27 लाख रू0 प्राप्त हुयी है तथा योजनान्तर्गत 01.04.11 को जनपद स्तर पर शेष रू0 78.58 लाख को सम्मिलित करते हुये कुल 1028.63 लाख रू0 की धनराशि उपलब्ध है, जिसके सापेक्ष रू0 396.62 लाख रू0 का व्यय किया गया है जो उपलब्ध धनराशि का 38.56 प्रतिशत तथा वार्षिक परिव्यय का 41.55 प्रतिशत हैं।

योजनान्तर्गत माह नवम्बर 15, 2011 तक 651 स्वयं सहायता समूहों का गठन कराया गया है, 255 समूहों को प्रथम ग्रेड, 168 समूहों को सी0सी0एल0 तथा 271 समूहों को द्वितीय ग्रेड कराया गया है तथा 240 समूहों के 2559 स्वरोजगारियों को तथा 852 व्यक्तिगत स्वरोजगारियों को ऋण वितरित कराया गया है, जिस पर रू0 330.20 लाख का अनुदान अवमुक्त किया गया है। भौतिक लक्ष्य 7300 के सापेक्ष 3411 स्वरोजगारियों को लाभान्वित कर 46.73 प्रतिशत की पूर्ति की गयी है।

## सार्वजनिक वितरण प्रणाली (बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय)

बी0पी0एल0 योजना के अन्तर्गत 61460 लाभार्थी हैं जिनको 921.900 मै0टन गेहूँ तथा 1229.200 मै0टन चावल के अतिरिक्त बी0पी0एल0 61460 एवं अन्त्योदय अन्न योजना के 37841 कुल 99301 लाभार्थी हैं जिनको बी0पी0एल0 दर पर 297.903 मै0टन गेहूँ तथा 620.631 मै0टन चावल, इस प्रकार कुल 3069.634 मै0टन खाद्यान्न आवंटित है। अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत 37841 लाभार्थी हैं, जिनको 567.615 मै0टन गेहूँ तथा 756.820 मै0टन चावल कुल 1324.435 मै0टन खाद्यान्न आवंटित है। इस प्रकार कुल 99301 लाभार्थियों हेतु बी0पी0एल0/अन्त्योदय का कुल 4394.069 मै0टन खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त है। नयी व्यवस्था के अन्तर्गत कैम्प लगाकर वितरित खाद्यान्न 3537.225 मै0टन है, जिसका उठान/वितरण शतप्रतिशत हो गया है। जो कुल का 80.50 प्रतिशत है, जो नोडल/पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में माह की 5 तारीख से 15 तारीख के मध्य वितरित कराया जाता है, शेष खाद्यान्न 15 तारीख के बाद वितरित होता है।

मिट्टी के तेल की काला बाजारी रोकने की कार्यवाही सम्बन्धी

जनपद में 12 थोक मिट्टी तेल विक्रेता कार्यरत हैं, जिनको 1740 के०एल० मिट्टी तेल आवंटित है, थोक मिट्टी तेल विक्रेताओं के नियमित भौतिक सत्यापन 80, आकस्मिक छापे 02, जनपद के दो थोक विक्रेताओं, मैसर्स महा लक्ष्मी फिलिंग, बण्डा, थोक मिट्टी तेल विक्रेता व मै० किसान फिलिंग स्टेशन, थोक मिट्टी तेल विक्रेता, गंगसरा, पुवार्यो के आकस्मिक निरीक्षण किये गये, निरीक्षण के समय कोई अनियमितता नहीं पायी गयी। दर्ज एफ०आई०आर०, गिरफ्तार किये गये व्यक्ति, निलम्बित थोक विक्रेता, जब्त शुदा प्रतिभूति शून्य है।

चीनी की काला बाजारी रोकने की कार्यवाही सम्बन्धी

बी०पी०एल०/अन्त्योदय योजना के कुल लाभार्थी 99301 हैं, जिनको 307.000 मै०टन चीनी प्राप्त है। जिसका उठान/वितरण 307.000 मै०टन हुआ है। 15 ब्लाक गोदामों का नियमित भौतिक सत्यापन हुआ, ब्लाक गोदामों के आकस्मिक निरीक्षणों की संख्या शून्य, पायी गयी कुल अनियमिततायें, कृत्य कार्यवाही शून्य है।

**खाद्य अपमिश्रण**  
**(नोडल विभाग – खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग)**  
**कलेन्डर वर्ष के अनुसार – (01 जनवरी, 2011 से 15 नवम्बर, 2011 तक)**

खाद्य अपमिश्रण के अन्तर्गत वर्ष, 2011 में माह 15 नवम्बर, 2011 तक कुल 56 प्रतिष्ठानों के निरीक्षण किये गये हैं तथा वर्ष, 2011 में कुल 2382 निरीक्षण हुये हैं। इस वर्ष में कुल 176 छापे विभिन्न खाद्य विक्रय प्रतिष्ठानों पर डाले गये हैं तथा माह 15 नवम्बर, 2011 में कुल 09 छापामार कार्यवाही की गयी है। जनपद में विभिन्न स्थानों/खाद्य विक्रय प्रतिष्ठानों से माह में 02 नमूने तथा इस वर्ष कुल 109 नमूने विभिन्न खाद्य पदार्थों के संग्रहीत कर जांच हेतु राजकीय प्रयोगशाला में प्रेषित किये गये है। कुल 95 रिपोर्ट प्राप्त हुयीं तथा वर्ष 2011 में 37 रिपोर्ट अपमिश्रित पायी गयीं। अपमिश्रित खाद्य पदार्थ विक्रेताओं के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराते हुए भा0द0सं0 की धारा 272 एवं 273 के तहत कुल दो व्यक्तियों एवं एक फर्म के विरुद्ध सम्बन्धित थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी। वर्ष, 2011 में कुल 61 वाद सक्षम न्यायालय में योजित किये गये है। मा0 सिविल जज जूनियर डिवीजन तिलहर ने 04 वादों में रू0 7500 जुर्माने की सजा सुनाई।

नोट:— खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 के अन्तर्गत दायर वादों का निस्तारण मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0—प्रथम शाहजहाँपुर एवं सिविल जज जूनियर डिवीजन तिलहर द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत किया जाता है।

**औषधि नियंत्रण**  
(नोडल विभाग – खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग)  
**कलेन्डर वर्ष के अनुसार – (01 जनवरी, 2011 से 15 नवम्बर, 2011 तक)**

औषधि नियन्त्रण के अन्तर्गत वर्ष में कुल 216 प्रतिष्ठानों के निरीक्षण किये गये हैं तथा 15 नवम्बर, 2011 में कुल 6 निरीक्षण हुये हैं। इसी प्रकार माह में 01 छापे डाले गये जबकि वर्ष में कुल 41 छापे औषधि प्रतिष्ठानों के डाले गये है। जनपद में इस माह 02 दवाओं के नमूने एकत्रित किये गये तथा वर्ष में 51 नमूने जनपद के विभिन्न स्थानों से लिये गये हैं। लिये गये नमूनों में से 06 की रिपोर्ट प्राप्त है, जिनमें से 03 मानक स्तर के पाये गये तथा 03 अधोमानक स्तर के हैं जिन पर कार्यवाही प्रक्रिया में है। वर्ष में कुल 05 वाद योजित किए गए है। वर्ष 2011 में कुल 7 लाइसेन्स औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निलंबित किये गये एवं वर्ष में कुल 11 लाइसेन्सों का निरस्तीकरण किया गया है।

नोट:— लाइसेन्स निरस्तीकरण एवं निलंबन औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी, विभागाध्यक्ष फार्माकोलोजी, लाला लाजपत राय मेडिकल कालेज मेरठ द्वारा सम्पादित किया जाता है।

प्रपत्र- 24.1

## अनुसूचित जाति / जनजाति पूर्वदषम छात्रवृत्ति योजना

यह छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 10 तक अनुसूचित जाति के पात्र छात्र/छात्राओं की दी जाती है। जो कक्षा 1 से 5 तक रू0 25 प्रतिमाह, कक्षा 6 से 8 तक रू0 40 तथा कक्षा 9 से 10 तक रू0 60 प्रतिमाह की दर से दी जाती है।

वर्तमान स्थिति:- वित्तीय वर्ष 2011-12 में लक्षित 115151 छात्रों के सापेक्ष रू0 212.14 लाख धनराशि प्राप्त हुयी है, जिसके सापेक्ष 110159 छात्रों का डाटा इंट्री/ अपलोड कराकर 68296 छात्रों के लिये रू0 212.14 लाख की धनराशि ग्राम निधि-3/छात्रों के खातों में स्थानान्तरित कर दी गयी है। अवषेष 4992 छात्रों का डाटा फीडिंग का कार्य पूर्ण किया जा रहा है। जिसे 20.11.2011 तक पूर्ण करा लिया जायेगा। अपलोड शेष छात्रों हेतु रू0 125.82 लाख की मांग की गयी है।

प्रपत्र- 24.2

## सामान्य वर्ग पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना

यह छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 10 तक सामान्य वर्ग के पात्र छात्र/छात्राओं की दी जाती है। जो कक्षा 1 से 5 तक रू0 25 प्रतिमाह, कक्षा 6 से 8 तक रू0 40 तथा कक्षा 9 से 10 तक रू0 60 प्रतिमाह की दर से दी जाती है।

**वर्तमान स्थिति:-** वित्तीय वर्ष 2011-12 में लक्षित 96736 छात्रों हेतु रू0 212.91 लाख धनराशि प्राप्त हुयी जिसके सापेक्ष 85092 छात्रों का डाटा इंट्री/ अपलोड कराकर 59348 छात्रों के लिये 212.91 लाख रू0 की धनराशि ग्राम निधि-3/छात्रों के खातों में स्थानान्तरित कर दी गयी। अवशेष 11644 छात्रों का डाटा फीडिंग का कार्य 20.11.2011 तक पूर्ण करा लिया जायेगा। अपलोड शेष छात्रों हेतु रू0 60.00 लाख की मांग की गयी है।

प्रपत्र— 24.3

## पूर्वदशम छात्रवृत्ति – कुल

यह छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 10 तक समान्य वर्ग के पात्र छात्र/छात्राओं की दी जाती है। जो कक्षा 1 से 5 तक रू0 25 प्रतिमाह, कक्षा 6 से 8 तक रू0 40 तथा कक्षा 9 से 10 तक रू0 60 प्रतिमाह की दर से दी जाती है।

**वर्तमान स्थिति:**— वित्तीय वर्ष 2011–12 में लक्षित 211887 छात्रों हेतु रू0 425.05 लाख धनराशि प्राप्त हुयी, जिसके सापेक्ष कक्षा–1 से कक्षा–10 तक के 195251 छात्रों का डाटा इंट्री/अपलोड कराकर 127644 छात्रों के लिये रू0 425.05 लाख की धनराशि ग्राम निधि–3/छात्रों के खातों में स्थानान्तरित कर दी गयी। अवषेष 16636 छात्रों का डाटा फीडिंग कार्य दिनांक 20.11.2011 तक पूर्ण करा लिया जायेगा।

प्रपत्र- 24.4

## अनुसूचित जाति/जनजाति-दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना

यह छात्रवृत्ति कक्षा 10 से ऊपर अनुसूचित जाति के समस्त ऐसे पात्र छात्र/छात्राओं को, जिनके अभिभावक के वार्षिक आय दो लाख से अधिक न हो को देय है।

वर्तमान स्थिति:- वित्तीय वर्ष 2011-12 में 3759 छात्रों के निर्धारित भौतिक तथा 83.05 लाख रू० के वित्तीय लक्ष्य के सापेक्ष 82.98 लाख रू० की धनराशि प्राप्त हुई है। अपलोड 3239 छात्रों में धनराशि वितरण हेतु प्राप्त धनराशि 82.98 लाख रू० के आहरण की कार्यवाही की जा रही है।

## सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना

यह छात्रवृत्ति कक्षा 10 से ऊपर सामान्य वर्ग के समस्त ऐसे पात्र छात्र/छात्राओं को, जिनके अभिभावक के वार्षिक आय एक लाख से अधिक न हो को देय है।

वर्तमान स्थिति:- वित्तीय वर्ष 2011-12 में गत वर्ष का लक्ष्य (7182 छात्रों के सापेक्ष धनराशि 119.16 लाख रू0) ही निर्धारित किया गया है। निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 94.89 लाख रू0 की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। अपलोड 6236 छात्रों में धनराशि वितरण हेतु प्राप्त धनराशि 94.89 लाख रू0 के आहरण की कार्यवाही की जा रही है।

## दशमोत्तर छात्रवृत्ति – कुल

यह छात्रवृत्ति कक्षा 10 से ऊपर सामान्य वर्ग के समस्त ऐसे पात्र छात्र/छात्राओं को, जिनके अभिभावक की वार्षिक आय एक लाख से अधिक न हो को देय है एवं अनु0जाति के समस्त ऐसे पात्र छात्र/छात्राओं को, जिनके अभिभावक की वार्षिक आय दो लाख से अधिक न हो को देय है।

वर्तमान स्थिति:- वित्तीय वर्ष 2011-12 में 10941 छात्रों के निर्धारित भौतिक तथा 202.21 लाख रू0 के वित्तीय लक्ष्य के सापेक्ष 177.87 लाख रू0 की धनराशि प्राप्त हुई है। अपलोड 9475 छात्रों में धनराशि वितरण हेतु प्राप्त धनराशि 177.87 लाख रू0 के आहरण की कार्यवाही की जा रही है।

प्रपत्र-24.7

## वृद्धावस्था / किसान पेंशन योजना

इस योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 सूची 2002 के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को धनराशि रू0 300 /- प्रतिमाह की दर से देय है जिसका भुगतान दो छमाही किशतों में किया जाता है।

**वर्तमान स्थिति:-** वित्तीय वर्ष 2011-12 में वृद्धावस्था पेंशन योजना में जनपद का लक्ष्य 64362 के सोपक्ष धनराशि रू0 2317.04 लाख निर्धारित किया गया है। उक्त समस्त पेंशनर्स का सत्यापन करा लिया गया है। प्रथम किशत हेतु धनराशि रू0 1158.51 लाख प्राप्त हुयी है, जिससे 64362 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। द्वितीय किशत हेतु धनराशि की मांग की गयी है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (वित्तीय वर्ष 2011-12)

पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 1 से 10)

- 1- कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
- 2- कक्षा 1 से कक्षा 5 तक 300 प्रति छात्र की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। जबकि कक्षा 6 से 8 तक 480 की दर से प्रदान की जाती है।
- 3- कक्षा 9 से 10 तक के उन्ही छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 30,000.00 तक हो। यह छात्रवृत्ति रू0 720.00 वार्षिक की दर से दी जाती है।

वर्तमान स्थिति:- वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए भौतिक लक्ष्य 329442 छात्रों के सापेक्ष वित्तीय लक्ष्य 1195.40 लाख निर्धारित किया गया है तथा 762.63 लाख रू0 की धनराशि प्राप्त हुयी है। जिसके सापेक्ष 303985 छात्रों का डाटा इन्ट्री/अपलोड कराकर 209135 छात्रों हेतु 762.73 लाख रू0 की धनराशि वितरित कर दी गयी है। आवश्यक रू0 324.00 लाख की धनराशि की मांग की गयी है। अवशेष 25457 छात्रों की डाटा इन्ट्री/फीडिंग का कार्य एजेण्सी द्वारा 20.11.2011 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

प्रपत्र- 24.9

### दशमोत्तर छात्रवृत्ति

दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत पिछड़े वर्ग के ऐसे सभी छात्र/छात्राओं को जिनके अभिभावकों की वार्षिक

आय 1.00 लाख रू0 तक है, को दी जाती है।

#### वर्तमान स्थिति:-

वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु 10244 छात्र/छात्राओं के निर्धारित भौतिक लक्ष्य तथा वित्तीय आवश्यकता 161.95 लाख रू0 के सापेक्ष शासन स्तर से रू0 98.51 लाख की धनराशि प्राप्त हुयी है।

अपलोड 8577 छात्रों में प्राप्त धनराशि 98.51 लाख रू0 के अंतरण करने की कार्यवाही की जा रही है।

## अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजना

पूर्वदषम छात्रवृत्ति :- यह छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 10 तक अल्पसंख्यक वर्ग के सामान्य जाति के पात्र छात्र/छात्राओं को दी जाती है जो कक्षा 1 से 5 तक 25 रू0 प्रतिमाह, कक्षा 6 से 8 तक रू0 40 तथा कक्षा 9 से 10 तक रू0 60 प्रतिमाह की दर से दी जाती है।

वर्तमान स्थिति:- वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु शासन स्तर से 100.52 लाख रू0 की धनराशि प्राप्त हुयी है। जो अब तक अपलोड हुए 65665 छात्रों के सापेक्ष 29228 छात्रों हेतु विद्यालयों/ग्राम निधि खातों में स्थानान्तरित कर दी गयी है। अवशेष अपलोड 20607 छात्रों हेतु रू0 127.89 लाख की मांग की गयी है। शेष फीडिंग का कार्य दिनांक 20.11.2011 तक पूर्ण कराकर एन0आई0सी0 को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

## अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजना

### दशमोत्तर छात्रवृत्ति :-

यह छात्रवृत्ति **कक्षा 10** से ऊपर अल्पसंख्यक वर्ग के सामान्य जाति के समस्त पात्र छात्र/छात्राओं को जिनके अभिभावकों की **आय एक लाख से अधिक** न हो, को देय होगी। इस सम्बंध में वर्तमान शासनादेशानुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु एक कामन प्रारूप शासन द्वारा निर्धारित किया गया है।

वर्तमान स्थिति:- वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु 1850 छात्र/छात्राओं के निर्धारित भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष शासन स्तर से रू0 23.59 लाख की धनराशि प्राप्त हुयी । अपलोड 1577 छात्रों के सापेक्ष 1545 छात्रों में प्राप्त धनराशि 23.59 लाख रू0 स्थानान्तरण की कार्यवाही की जा रही है।अवषेष अपलोड 32 छात्रों हेतु रू0 0.62 लाख की मॉग की जा रही है।

## विकलांग पेंशन

### अनुसूचित जाति/जनजाति-

योजनान्तर्गत पात्र विकलांग को रू0 1800 प्रति छमाही किस्त दिये जाने का प्राविधान है।

### पात्रता-

1. लाभार्थी 40 प्रतिषत या उससे अधिक विकलांग होना चाहिए, जिसके लिये मुख्य चिकित्साधिकारी, सामु0 स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सक द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा।
2. लाभार्थी की उम्र 18-60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
3. अधिकतम आय 12000.00 रू0 वार्षिक से कम होनी चाहिए जिसके लिये मा0 सांसद, मा0 विधायक, महापौर नगर पंचायतों के अध्यक्ष, तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र मान्य होगा।
4. (अ) ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले लाभार्थी ग्राम पंचायत द्वारा दिये गये प्रस्ताव के साथ खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया जाता है।  
(ब) शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले लाभार्थी तहसीलदार के माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत करते हैं।

### प्रगति विवरण-

#### वित्तीय वर्ष 2011-12:-

वित्तीय वर्ष 2011-12 में एस0सी0पी0 के 1679 विकलांग लाभार्थियों को प्रथम किस्त दिये जाने हेतु धनराशि रू0 30.22 लाख प्राप्त हुई थी, जिसको लाभार्थियों के खातों में अन्तरण हेतु प्रेषित कर दिया गया है।

## विकलांग पेंशन

### अन्य वर्ग

योजनान्तर्गत पात्र विकलांग को रू0 1800 प्रति छमाही किष्ट दिये जाने का प्राविधान है।

### पात्रता-

1. लाभार्थी 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग होना चाहिए, जिसके लिये मुख्य चिकित्साधिकारी, सामु0 स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सक द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा।
2. लाभार्थी की उम्र 18-60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
3. अधिकतम आय 12000.00 रू0 वार्षिक से कम होनी चाहिए जिसके लिये मा0 सांसद, मा0 विधायक, महापौर नगर पंचायतों के अध्यक्ष, तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र मान्य होगा।
4. (अ) ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले लाभार्थी ग्राम पंचायत द्वारा दिये गये प्रस्ताव के साथ खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया जाता है।  
(ब) शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले लाभार्थी तहसीलदार के माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत करते हैं।

### प्रगति विवरण-

#### वित्तीय वर्ष 2011-12:-

वित्तीय वर्ष 2011-12 में अन्य वर्ग के 13683 विकलांग लाभार्थियों को प्रथम किश्त दिये जाने हेतु धनराशि रू0 246.30 लाख प्राप्त हुई थी, जिसको लाभार्थियों के खातों में अन्तरण हेतु प्रेषित कर दिया गया है।

## विकलांग पेंशन

### (अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य) योग-

योजनान्तर्गत पात्र विकलांग को रू0 1800 प्रति छमाही किष्ट दिये जाने का प्राविधान है।

### पात्रता-

1. लाभार्थी 40 प्रतिषत या उससे अधिक विकलांग होना चाहिए, जिसके लिये मुख्य चिकित्साधिकारी, सामु0 स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सक द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा।
2. लाभार्थी की उम्र 18-60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
3. अधिकतम आय 12000.00 रू0 वार्षिक से कम होनी चाहिए जिसके लिये मा0 सांसद, मा0 विधायक, महापौर नगर पंचायतों के अध्यक्ष, तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र मान्य होगा।
4. (अ) ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले लाभार्थी ग्राम पंचायत द्वारा दिये गये प्रस्ताव के साथ खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया जाता है।  
(ब) शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले लाभार्थी तहसीलदार के माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत करते हैं।

### प्रगति विवरण-

#### वित्तीय वर्ष 2011-12:-

वित्तीय वर्ष 2011-12 में 15362 लाभार्थियों का लक्ष्य रखा गया है, 15362 विकलांग लाभार्थियों को प्रथम किश्त दिये जाने हेतु धनराशि रू0 276.52 लाख प्राप्त हुई थी, जिसको लाभार्थियों के खातों में अन्तरण हेतु प्रेषित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 2209 नवीन विकलांग आवेदकों की पेंशन विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन (विकलांग कल्याण) के शासनादेश संख्या 962/65-2-2011-2(सी0क्यू0)/2010 दिनांक 16.05.2011 के निर्देशानुसार उ0प्र0महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के अन्तर्गत लाभान्वित कराया जाना है। उक्त के अनुपालन में समस्त नवीन आवेदकों की ब्लाकवार सूची, मूल आवेदन पत्र एवं सी0डी0 कार्यालय पत्र सं0 100-04 दि0 28.05.2011 एवं 158 दि0 30.06.2011 एवं 362-66 दिनांक 25.10.2011 द्वारा अपर जिला विकास अधिकारी (समाज कल्याण) को उपलब्ध करायी जा चुकी है। जिसके क्रम में उनके द्वारा डाटा फीडिंग कर पेंशन भेजी जा रही है।

प्रारूप-25.1

उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण (रबी-2011-12)

माह अक्टूबर, 2011 में रबी फसल हेतु यूरिया 19735 मैटन, डीएपी 9552 मैटन, एनपीके 9079 मैटन एवं एमओपी 950 मैटन उपलब्ध है, जिसके सापेक्ष यूरिया 15597 मैटन, डीएपी 7547 मैटन, एनपीके 4494 मैटन एवं एमओपी 850 मैटन का वितरण किया गया है।

बीज की फसलवार लक्ष्य, उपलब्धता एवं वितरण रबी- 2011-12

वित्तीय वर्ष 2011-12 में रबी फसल हेतु गेहूँ के निर्धारित लक्ष्य 78817 कु0 के सापेक्ष 70181 कु0 उपलब्धता है, जिसके विरुद्ध 36763 कु0 बीज का वितरण हुआ है। जौ के निर्धारित लक्ष्य 370 कु0 के सापेक्ष 275 कु0 उपलब्धता है, जिसके विरुद्ध 275 कु0 बीज का वितरण हुआ है। इसी प्रकार दलहन के निर्धारित लक्ष्य 2530 कु0 के सापेक्ष 2206.10 कु0 उपलब्धता है, जिसके विरुद्ध 2183.55 कु0 बीज का वितरण हुआ है तथा तिलहन के निर्धारित लक्ष्य 785 कु0 के सापेक्ष 1245.20 कु0 उपलब्धता है, जिसके विरुद्ध 1245.20 कु0 बीज का वितरण हुआ है।

## राजकीय नलकूपों का संचालन

दिनांक 01.04.11 को खण्ड के अधीनस्थ जनपद शाहजहाँपुर में कुल 534 नलकूप छिद्रित हो चुके थे, जिनमें 450 नलकूप चलित श्रेणी में, 19 नलकूप परित्यक्त हेतु प्रस्तावित, 11 नलकूप फेल, 37 नलकूप विद्युत सुधारात्मक कार्यवाही में एवं 3 नलकूप यॉन्त्रिक सुधारात्मक कार्यवाही में तथा 14 नलकूप उर्जीकृत नहीं थे। जिनमें 11 नलकूप उर्जीकृत हो चुके हैं।

चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में मान्यवर कांषीराम नाबार्ड योजना के अन्तर्गत 14 नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण एवं 4 नलकूपों के पुनर्निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुयी थी । इसके अतिरिक्त मान्यवर कांषीराम योजना, 11000 नलकूप योजना एवं कृषि विकास आधुनिकीकरण योजना अन्तर्गत 31 नये पम्पसेटों की स्थापना, 19 गूलों का आधुनिकीकरण एवं 27 नलकूपों की पाइप लाइन वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण किये जाने की स्वीकृति प्राप्त हुयी है। 8 नवीन नलकूपों छिद्रण कार्य पूरा हो चुका है एवं सिविल कार्य प्रगति पर है । एक नलकूप का पुनः निर्माण उर्जीकरण हेतु प्राकलन विद्युत विभाग से प्राप्त होना है। 17 नलकूपों के गूलों की मरम्मत/आधुनिकीकरण का कार्य समाप्ति पर है एवं अवषेषनलकूपों का कार्य माह नवम्बर, 11 में पूरा हो जायेगा। पाइप लाइन के आधुनिकीकरण हेतु लक्षित 27 नलकूपों हेतु पाइप फिटिंग की आपूर्ति शुरू हो गयी है एवं कार्य प्रारम्भ करा दिये गये हैं जो कि दिसम्बर 15, 2011 तक पूर्ण हो जायेंगे। 31 नये पम्प सेट की आपूर्ति प्राप्त हो गयी है जिनको बदलने की कार्यवाही की जा रही है। दिसम्बर 15, 2011 तक बदल दिये जायेंगे। 9 नलकूपों का उर्जीकरण हो चुका है।

सप्ताहान्त 10.11.2011 तक 06 नलकूप यांत्रिक दोष से एवं 14 नलकूप विद्युत दोष से कुल 20 नलकूप बन्द थे।।

## टेल फीडिंग

जनपद में चार खण्डों (शारदा नहर खण्ड-80 नहरें/राष्ट्रीय जल प्रबन्ध योजना-36 नहरे/सिंचाई खण्ड लखीमपुर-2 नहरें/ नलकूप द्वितीय खण्ड बरेली-2 नहरें) से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

क्रम सं०	खण्ड का नाम	कुल टेलो की संख्या	रबी 1419 फसली का लक्ष्य	दिनांक 15.11.2011 तक लक्ष्य	प्रगति
1	शारदा नहर खण्ड शाहजहाँपुर	80	80	—	09
2	रा०ज०प्र०यो० खण्ड शाहजहाँपुर	36	36	—	20
3	नलकूप खण्ड द्वितीय बरेली	02	02	—	—
4	सिंचाई खण्ड प्रथम लखीमपुर	02	02	—	—
<b>कुल योग</b>		<b>120</b>	<b>120</b>	<b>—</b>	<b>29</b>

## मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ / धान क्रय (क्रय वर्ष 2011-12)

### धान क्रय (क्रय वर्ष 2011-12)

1. जनपद शाहजहाँपुर में वर्ष 2011-12 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत विभिन्न क्रय संस्थाओं द्वारा कृषकों को सीधे धान क्रय हेतु विपणन शाखा के 11, पी0सी0एफ0 के 28, यू0पी0एग्रो के 9, यू0पी0एस0एस0 के 6, एस0एफ0सी0 के 07, क0क0नि0 के 04 तथा भारतीय खाद्य निगम के 02, कुल 67 धान क्रय केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं। नये 11 क्रय केन्द्रों की स्वीकृति हेतु पत्रावली मण्डलायुक्त महोदय बरेली को प्रेषित की गयी है।
2. जनपद शाहजहाँपुर को खरीफ विपणन वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत कुल 1,50,700 मी0टन धान क्रय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके सापेक्ष 15.11.2011 तक कुल 25148 मी0टन धान की खरीद हुयी है।
3. सभी क्रय केन्द्र समय से खुलें, इसके लिये जनपद स्तरीय अधिकारी धान क्रय केन्द्रों का भ्रमण कर निरीक्षण कर रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट समय-समय पर भेजी जाती है। किसानों से खरीदे गये धान का भुगतान हो चुका है।
4. दिनांक 15.11.2011 तक भारतीय खाद्य निगम के पास कुल 1,25,000 मै0टन भण्डारण क्षमता रिक्त है। प्रति माह 10 रैकों के प्रेषण का आवंटन है और 1,50,000 मै0टन क्षमता का गोदाम निर्माणाधीन है।
5. क्रय केन्द्रों से मिलों का एवं मिलों से डिपो का संचरण कार्यक्रम निर्गत किया जा चुका है।

## वृक्षारोपण

वित्तीय वर्ष 2010-11 में, सामाजिक वानिकी प्रभाग, शाहजहांपुर में उ० प्र० शासन के द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुपालन में 551.00 है० में अग्रिम मृदा कार्य (Advance soil work) किया गया है, जिसमें वर्षाकाल 2011-12 में वृक्षारोपण किया जा रहा है। प्रभाग में विभिन्न योजनाओं के तहत अग्रिम मृदा कार्य में कुल लक्ष्य 480476 गड्ढों का खुदान एवं 28442 माउण्डों का निर्माण हुआ है। गड्ढों का साइज 45 X 45 X 45 cm तथा 60 X 60 X 60 cm रखा गया है एवं माउण्डों का साइज 1.20 X 0.90 X 0.60 cm है।

वृक्षारोपण में विभागीय पौधशालाओं में उपलब्ध पौध का उपयोग किया जायेगा। विभागीय पौधशालाओं में कुल 15.22 लाख पौध भिन्न-भिन्न प्रजातियों की उपलब्ध है। पौधों की सुरक्षा हेतु प्रति 8.00 है० में एक पशु रक्षक की तैनाती की जायेगी। जिसका भुगतान मनरेगा योजना में अवमुक्त धनराशि से किया जायेगा। पौधों की सुरक्षा हेतु तारबाड़ का कार्य भी किया जायेगा। वन विभाग एवं अन्य विभागों की वर्ष 2011-12 की वृक्षारोपण प्रगति निम्न प्रकार है।

क्र०म०	विभाग का नाम	लक्ष्य (है० में)	पौध संख्या	प्राप्ति	
				क्षेत्रफल (है०में)	पौध संख्या
1	वन विभाग	551.00	358150	561.000	513230
2	ग्राम्य विकास विभाग	165.00	107250	56.75	47375
3	ऊर्जा विभाग	2.00	1300	1.00	650
4	औद्योगिक विभाग	14.00	9100	1.99	1295
5	आवास एवं शहरी नियोजन	6.00	3900	....	....
6	सिंचाई विभाग	17.00	11050	4.85	3460
7	लोक निर्माण	13.00	8450	13.00	8450
8	सहकारिता विभाग	01.00	650	1.21	789
<b>योग</b>		<b>769.00</b>	<b>499850</b>	<b>639.80</b>	<b>575249</b>

—:कृषि भूमि आवंटन:—

जनपद में वर्ष 2011-12 हेतु कृषि भूमि आवंटन किये जाने के सम्बंध में 54.383 हैक्टे0 भूमि चिन्हित की गयी। माह 15 नवम्बर, 2011 तक 54.383 हैक्टे0 भूमि 227 व्यक्तियों में आवंटित की जा चुकी है। जिसमें 216 आवंटी अनुसूचित जाति के हैं। सभी लाभार्थियों को कब्जा दखल दे दिया गया है। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि आवंटित की जाने वाली भूमि में अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों की प्रतिशतता का ध्यान रखा जाये।

—:आवासीय भूमि का आवंटन:—

जनपद में वर्ष 2011-12 हेतु आवासीय भूमि आवंटन किये जाने के सम्बंध में 2.060 हैक्टे0 भूमि चिन्हित की गयी। माह 15 नवम्बर, 2011 तक अनु0जाति के 181 लाभार्थियों को 1.894 है0 आवासीय भूमि तथा अन्य वर्ग के 14 लाभार्थियों को 0.166 है0 आवासीय भूमि कुल 195 लाभार्थियों को 2.060 है0 भूमि का आवंटन कर दिया गया है। सभी लाभार्थियों को कब्जा दखल दे दिया गया है। आवंटित भूमि के सापेक्ष अनु0जाति के लाभार्थियों को भूमि आवंटन 92.82 प्रतिशत किया गया है। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि आवंटित की जाने वाली भूमि में अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों की प्रतिशतता का ध्यान रखा जाये।

—:कृषि भूमि के पट्टों से अवैध कब्जेदारों को हटाकर वास्तविक पट्टेदारों को कब्जा दिलाना:—

कृषि भूमि के पट्टों से अवैध कब्जेदारों को हटाकर वास्तविक पट्टेदारों को कब्जा दिलाये जाने के सम्बंध में कार्यवाही की जा रही है। माह 15 नवम्बर, 2011 तक अवैध कब्जे के 26 मामलें प्रकाश में आये जिन्हें तत्काल अवैध कब्जे से कब्जा मुक्त कराकर वास्तविक पट्टेदारों को कब्जा दिला दिया गया है, 02 दोषी/अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी तथा 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गयी।

प्रारूप-28.4

—:आवासीय भूमि के पट्टों से अवैध कब्जेदारों को हटाकर वास्तविक पट्टेदारों को कब्जा दिलाना:—

आवासीय भूमि के पट्टेदारों की भूमि पर अवैध कब्जे के सम्बंध में माह 15 नवम्बर, 2011 तक 10 मामलें प्रकाश में आये जिन्हें तत्काल अवैध कब्जे से कब्जा मुक्त कराकर वास्तविक पट्टेदारों को कब्जा दिला दिया गया है। सभी उप जिलाधिकारियों को अवैध कब्जे का प्रकरण प्रकाश में आने पर तत्काल कार्यवाही करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

यू0पी0एल0आर0 एक्ट की धारा-41 के अन्तर्गत हदबन्दी के तीन पुराने वादों का विवरण

क्र० सं०	वाद संख्या	दायरा तिथि	नाम फरीकैन	ग्राम/परगना	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	34 / 2009	02.06.2009	सूवासिंह बनाम महफूज़ अली आदि	कोटावारी तहसील पुवायॉ	—
2	2 / 2010	27.07.2010	राजाराम बनाम प्रेमराज आदि	जिगनिया परगना जलालापुर तहसील तिलहर	—
3	8 / 2010	12.06.2010	गंगा दयाल बनाम हुलासों आदि	ईश्वरा परगना तिलहर तह० तिलहर	—

## मा0 श्री कांशीराम जी शहरी दलित बाहुल्य बस्ती गढीगाडीपुरा मे समग्र विकास योजना

वृद्धावस्था पेंशन, पारिवारिक लाभ योजना विकलांग पेंशन, अन्धता निवारण कार्यक्रम क्षय एवं कुष्ठ रोग निवारण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रवृत्ति, पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति, विकलांग, सामान्य वर्ग के गरीबों को छात्रवृत्ति, राशन कार्ड, अनुसूचित जाति, जनजाति रोजगार कार्यक्रम, महामाया गरीब बालिका आषीर्वाद योजना अनुसूचित जाति एवं सामान्य गरीब परिवारों के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी एवं उनके परिवारजनों को इलाज हेतु अनुदान, बाल एवं पुष्टाहार योजना में कार्य शत प्रतिशत पूर्ण है।

अन्य योजनाओं में कार्य किया जा रहा है।

- 1- 24 इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प पूर्व से स्थापित है तथा 10 और हैण्डपम्प लगाये जाने थे, जो लगा दिये गये हैं। 1267 मी0 पाईप लाइन का विस्तार किया जाना है, 1220 मी0 पाइप लाइन विस्तार कर दिया गया है, शेष कार्य प्रगति पर है।
- 2- सीवर डायजेस्टर प्लान हेतु भूमि उपलब्ध न होने के कारण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है, स्थिति से शासन को अवगत कराया जा चुका है।
- 3- जल निकासी व्यवस्था हेतु 480 मी0 नाली निर्माण का कार्य किया जाना है, 430 मी0 नाली निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है, शेष कार्य प्रगति पर है।
- 4- कूड़ा प्रबन्धन हेतु 60 डस्टबिन क्रय करने हेतु आदेश दे दिये गये हैं।
- 5- धनराशि रू0 216.52 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है।
- 5.1 - मुख्य मार्ग से सम्पर्क मार्ग तक सड़क निर्माण 1060 मी0 किया जाना है। 410 मी0 सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है, शेष कार्य प्रगति पर है।
- 6- निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था आर0ई0एस0 द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
- 7- विद्युतीकरण हेतु धनराशि रू0 9.49 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। कार्य प्रारम्भ है।
- 7.1- विद्युत विभाग द्वारा पोल न लगाये जाने व स्ट्रीट लाइट वायर न खींचे जाने के कारण यह कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। अधिषासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, शाहजहाँपुर द्वारा अवगत कराया गया कि 100 सी0एफ0एल0 85 वाट की फीटिंग उपलब्ध है।
- 8- भूमि उपलब्ध नहीं है, स्थिति से शासन को अवगत कराया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत सेवायें-राजस्व विभाग के प्रकरण

उ0प्र0 जनहित गारण्टी योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के सापेक्ष शतप्रतिशत निस्तारण नियत अवधि के अन्दर सुनिश्चित किया जा रहा है। किसी भी सेवा हेतु कोई अपीलिय प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। भूमि के अविवादित नामान्तरण के लम्बित दर्शाये गये 1866 प्रकरणों के निस्तारण की समयावधि शेष है, जिनका निस्तारण निर्धारित समयावधि में करा दिया जायेगा।